स्वस्थ ग्राम प्रहरी दल योजना

स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी की कार्ययोजना

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश

नयी उम्मीदों का नयी उड़ानों का समय आया

- ऐसे में किशोरी की सेहत का ख़ास ध्यान रखें।
- उसमें खून की कमी न होने दें।
- उन्हें आयरन और फोलिक एसिड की गोली खिलाएँ जो सरकारी अस्पतालों में **निःशुल्क उपलब्ध है।**
- हरी पत्ते वाली सब्जियाँ उनके खाने में शामिल करें।

याद रखें **18 साल से** ... है।

सम्पूर्ण स्वास्थ्...

म.प्र. माध्यम/2012

राज्य स्वास्थ्य सूचना शिक्षा सं...

...वार सुखी परिवार

अनुक्रमणिका

आमुख

मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के रहवासियों को मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। इसी तारतम्य में लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचाने के लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कई योजनाएँ लागू की हैं। **स्वस्थ ग्राम प्रहरी दल** का गठन इसी दिशा में एक पहल है। इसके द्वारा स्वास्थ्य विभाग समुदाय को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ देने की गारण्टी सुनिश्चित कराना चाहता है। इस प्रयास से ग्राम आरोग्य केन्द्र में हुए ग्राम स्तर की सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित होगा एवं जनसमुदाय को मूलभूत स्वास्थ्य सेवाएँ निश्चित रूप से उपलब्ध होंगी।

स्वास्थ्य विभाग लोगों तक उनके स्वास्थ्य अधिकार एवं पात्रता पहुँचाने का संकल्प लेता है। स्वास्थ्य विभाग यही भी सुनिश्चित करेगा कि मैदानी स्तर के कार्यकर्त्ता की जिम्मेदारी है कि समुदाय तक यह सुविधाएँ पहुँचे। जिन मुद्दों को ग्राम स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता उसका उच्च स्तर पर प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा। राज्य को लगभग 5000 सेक्टर में विभाजित किया है जिसमें करीब प्रति सेक्टर 10-12 ग्राम होंगे। हर प्रहरी दल में निम्न सदस्य होंगे -

- सेक्टर चिकित्सा अधिकारी
- पुरूष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक
- एल एच व्ही
- एम पी डब्लू
- ए एन एम

इस दल का दायित्व होगा ग्राम आरोग्य केन्द्र को धुरी के रूप में सुदृढ़ करना व ग्राम स्तर पर मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

मध्यप्रदेश

तृतीय तल, बैंक ऑफ इंडिया भवन, भोपाल

क्रमांक / NRHM / 2013 / समन्वय / 156 भोपाल, दिनांक 02 / 09 / 2013

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश
4. समस्त खण्ड चिकित्सा अधिकारी, मध्यप्रदेश

विषय :प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्राम स्वास्थ्य प्रहरी दल का गठन।

मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र दिनांक 18.9.2012 के द्वारा ग्राम स्तरीय हस्तक्षेप के अन्तर्गत ग्राम आरोग्य केन्द्र की स्थापना एवं प्रत्येक 10–12 गांव पर एक चिकित्सा अधिकारी के अधीन सेक्टर के निर्माण हेतु निर्देशित किया गया था। स्वास्थ्य सेवाओं मे सुधार एवं अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए सपोर्टिव सुपरविजन की महत्ता स्पष्ट है, जिसमें सेक्टर एक महत्वपूर्ण इकाई है। सेक्टर स्तर पर पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व केवल सेक्टर अधिकारी के स्थान पर एक दल को दिए जाने से पर्यवेक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि होगी तथा पर्यवेक्षकों व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का क्षमता विकास भी हो सकेगा। अतः सेक्टर स्तर पर "ग्राम स्वास्थ्य प्रहरी दल" के गठन का निर्णय लिया गया है।

उद्देश्य

1. ग्राम आरोग्य केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण समुदाय तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में वृद्धि करना।
2. शासन की मंशा के अनुरूप ग्राम आरोग्य केन्द्र तथा ग्रामसभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समितियों की क्रियाशीलता सुनिश्चित करना।
3. मैदानी स्तर पर सपोर्टिव सुपरविजन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

संरचना

प्रस्तावित प्रत्येक ग्राम स्वास्थ्य प्रहरी दल में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

1. सेक्टर चिकित्सा अधिकारी (विभागीय अथवा आयुष) : संयोजक
2. पुरूष बहुद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक : सदस्य
3. एलएचव्ही : सदस्य
4. एमपीडब्लू : सदस्य
5. एएनएम : सदस्य

यदि सेक्टर में पर्यवेक्षक का पद रिक्त है तो अन्य वरिष्ठ पैरामेडीकल स्टाफ यथा एनएमएस, एनएमए, एसटीएस, मलेरिया निरीक्षक, बीईई, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट आदि को सदस्य बनाया जा सकता है। सेक्टर के अंतर्गत कार्यरत सभी एमपीडब्लू व एएनएम अनिवार्यतः इस दल के सदस्य होंगे।

सेक्टर ऑफिसर के रूप केवल चिकित्सा अधिकारी को ही चिन्हित किया जाये जहां स्वास्थ्य केन्द्रो पर चिकित्सा अधिकारी के पद रिक्त है वहां समीप के स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी को

अथवा जिला स्तर/विकासखण्ड स्तर के चिकित्सा अधिकारी को सेक्टर अधिकारी घोषित किया जायेगा। यदि आयुष विभाग का आयुष चिकित्सा अधिकारी पदस्थ है तो उसे भी सेक्टर ऑफिसर घोषित किया जा सकता है। चिकित्सा अधिकारी के अतिरिक्त अन्य किसी को सेक्टर ऑफिसर के रूप में ग्राम स्वास्थ्य प्रहरी दल का संयोजक नामांकित नहीं किया जा सकेगा।

दल का गठन

ग्राम स्वास्थ्य प्रहरी दल के गठन का आदेश जिले के प्रत्येक सेक्टर हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। प्रत्येक दल के गठन का आदेश सभी सदस्यों के नाम से जारी किया जाएगा, सदस्यों को आदेश की प्रति खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रशासनिक ढांचा

- ग्राम स्वास्थ्य प्रहरी दल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा तंत्र में मॉनिटरिंग की प्रथम इकाई के रूप में स्थापित किया जाएगा। यह दल आशा तथा मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं – ANM/MPW के कार्यों का पर्यवेक्षण करेगा तथा एक दल के रूप में "टीम वर्क" को प्रोत्साहित करेगा।
- ग्राम स्वास्थ्य प्रहरी दल का नेतृत्व सेक्टर मेडीकल ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। जिस सेक्टर में चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त हो वहां समीपस्थ सेक्टर के चिकित्सा अधिकारी को सेक्टर अधिकारी घोषित किया जाएगा।
- सेक्टर मेडीकल ऑफिसर को पुरूष पर्यवेक्षक, एलएचव्ही, एएनएम तथा पुरूष कार्यकर्ता का प्रशासकीय नियंत्रण प्राप्त होगा। इन सभी कर्मचारियों की उपस्थिति तथा उनके द्वारा किए गए कार्य का सत्यापन सेक्टर मेडीकल ऑफिसर द्वारा किया जाएगा। खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा इन कर्मचारियों का वेतन तभी आहरित किया जाएगा जबकि सेक्टर मेडीकल ऑफिसर द्वारा सत्यापित प्रगति प्रतिवेदन व वेतन देयक उन्हें प्राप्त होंगे।
- उपरोक्त सभी कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार भी सेक्टर मेडीकल ऑफिसर को होगा।
- सेक्टर की सभी आशा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा तथा आशा को देय प्रोत्साहन राशि का अंतिम निर्णय करने का अधिकार भी सेक्टर मेडीकल ऑफिसर को होगा।
- ग्राम स्वास्थ्य प्रहरी दल में ए.एन.एम., एम.पी.डब्ल्यू आदि को शामिल कर सपोर्टिव सुपरविजन करने के काम मे लगाने पर उनके मूल कार्य प्रभावित न हो यह सुनिश्चित किये जाने का कार्य सेक्टर अधिकारी का होगा। सेक्टर अधिकारी अपने अधीन सदस्यो के मध्य तालमेल एंव सामंजस्य हेतु भी जवाबदार होगे।
- **वाहन की उपलब्धता** :– ग्राम स्वास्थ्य प्रहरी दल को प्रतिमाह कम से कम 08 दिन अपने सेक्टर के गांव में भ्रमण करना अनिवार्य होगा। अतः ग्राम प्रहरी दल के भ्रमण हेतु प्रत्येक माह में 08 दिन के मान से वाहन किराए पर लेने का अधिकार सेक्टर मेडीकल ऑफिसर को होगा। वित्तीय वर्ष 2013–14 की कार्ययोजना में प्रत्येक विकासखण्ड हेतु 2 वाहन मासिक रूप से सपोर्टिव सुपरविजन मद में दिये गये है इसके अतिरिक्त डीएफआईडी मद मे 1 वाहन उपलब्ध कराया गया है। सेक्टर मेडीकल ऑफिसर उक्त मदों के अंतर्गत जिले में निर्धारित की गई दरों पर वाहन किराए से ले सकेंगे। खण्ड चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक सेक्टर अधिकारी को अपने सेक्टर के भ्रमण हेतु वाहन की उपलब्धता नियमित रूप से बनी रहे।

वित्तीय प्रबंधन

- ग्रामसभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति की अनाबद्ध राशि के व्यय के संबंध में ग्राम प्रहरी दल सुझाव व मार्गदर्शन देने हेतु सक्षम होगा।
- उपस्वास्थ्य केन्द्र प्रबंधन समिति में सरपंच तथा एएनएम के साथ खण्ड चिकित्सा अधिकारी के स्थान पर सेक्टर मेडीकल ऑफिसर को व्यय का अधिकार होगा।
- ग्राम प्रहरी दल के भ्रमण हेतु प्रत्येक माह में 10 दिन के मान से वाहन किराए पर लेने का अधिकार सेक्टर मेडीकल ऑफिसर को होगा।
- ग्राम स्वास्थ्य प्रहरी दल एन.आर.एच.एम. गतिविधियों के तहत पृथक प्रशासनिक इकाई न होने से प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रभार देने एवं बैंकिग संव्यवहार प्रदाय करने मे कठिनाई है अतः विकासखण्ड स्तर से सेक्टर अधिकारी को अपने दायित्वो के संपादन हेतु प्रति माह रूपये 2000/– की राशि अग्रिम में दी जायेगी जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जायेगा इसके अतिरिक्त वाहन व्यवस्था हेतु 8000/–रूपये प्रतिमाह का व्यय संभावित है।

कार्य–पद्धति

ग्राम स्वास्थ्य प्रहरी दल एक निर्धारित मासिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत माह में 08 दिवस सेक्टर के विभिन्न ग्रामों में भ्रमण करेगा। यह भ्रमण कार्यक्रम ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस को छोड़कर अन्य दिवसों हेतु तैयार किया जाएगा। ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस को पूर्व निर्धारित माइक्रो प्लान के अनुसार भ्रमण किया जाएगा। दल के सभी सदस्य भ्रमण दिवस पर संबंधित ग्राम में भ्रमण करेंगे तथा ग्राम आरोग्य केन्द्र पर ग्रामसभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति व आशा के साथ चर्चा करेंगे। दल के कार्य–दायित्वों के अंतर्गत वर्णित विभिन्न गतिविधियों का संपादन सुनिश्चित किया जाएगा। यदि दल के किसी सदस्य को भ्रमण दिवस पर कोई विशिष्ट कार्य पृथक से दिया गया हो तो ऐसे सदस्य को भ्रमण से मुक्त करने का अधिकार सेक्टर मेडीकल ऑफिसर को होगा।

ग्राम स्वास्थ्य प्रहरी दल अनिवार्यतः एक टीम के रूप में कार्य करेगा। इस दल के प्रत्येक सदस्य हेतु कार्य–दायित्वों का निर्धारण किया गया है तथा भ्रमण के दौरान प्रत्येक सदस्य निर्धारित दायित्वों का निर्वहन करेगा। यदि कोई सदस्य उपस्थित नहीं होगा तो अन्य सदस्यों द्वारा उसके दायित्वों का निर्वहन कियां जाएगा।

कार्य–दायित्व

ग्राम स्वास्थ्य प्रहरी दल ग्राम आरोग्य केन्द्र के स्थायी एजेण्डा के पालन पर विचार विमर्श कर सुपरविजन करेगा। समुदाय अधारित स्वास्थ्य सेवाये की निगरानी हेतु ग्राम आरोग्य केन्द्र को सक्रिय कर स्वास्थ्य सेवाये समान्यजन को उपलबध कराने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी। ग्राम को धुरी मानकर समुदाय अधारित कार्ययोजना का निर्माण में भी सहयोग देगी। सेक्टर अधिकारी द्वारा ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति तथा उपस्वास्थ्य केन्द्रो को प्राप्त ग्रांट की राशि के उपयोग के संबंध में मार्गदर्शन देने, साफ सफाई एवं स्वच्छता संबंधी गतिविधियों को संचालन करने हेतु सुझाव देने एवं बीमारी तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बनाने का कार्य भी संपादित करेगी। सेक्टर मेडीकल ऑफिसर द्वारा दल के साथ भ्रमण कर अपने क्षेत्राधिकार के समस्त गांव ग्राम स्वच्छता समिति से समन्वय स्थापित किया जा कर स्वास्थ्य सेवायें को सुचारू रूप सें संचालित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे एवं गभीर समस्या मूलक गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं कीं उपलब्धता हेतु यह इकाई खण्ड चिकित्सा अधिकारी के साथ सामंजस्य स्थापित कर निदानात्मक कार्यवाही करेगी।

स्वास्थ्य सेवायें को प्रचार प्रसार हेतु जिला स्तर पर प्रावधानित आई.ई.सी/बी.सी.सी के अन्तर्गत संचालित गतिविधियो का मानीटरिग तथा कलापथक जत्था आदि के द्वारा प्रचार प्रसार की मानीटरिग भी की जायेगी। सेक्टर के ग्रामों में भजन मण्डली/कला जत्था के द्वारा प्रचार–प्रसार गतिविधि हेतु स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप विषय का चयन ग्राम प्रहरी दल द्वारा किया जाएगा। ग्राम प्रहरी दल के भ्रमण दिवस को ग्राम में आवश्यक प्रचार–प्रसार गतिविधि का आयोजन भी किया जाएगा।

समुदाय अधारित प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियो का संचालन, क्रियान्वयन एवं मानीटरिग का कार्य भी उक्त दल द्वारा किया जायेगा। भ्रमण के समय ग्राम आरोग्य केन्द्र में स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति, ग्राम की सभी आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं को एकत्र कर स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करेगा। ग्राम प्रहरी दल यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राम की ग्राम स्वास्थ्य पंजी में सभी सेवाओं की जानकारी अद्यतन कर ली गई है। यदि ऐसा नहीं किया गया हो तो दल के सदस्य पंजी को स्वयं अद्यतन करेंगे।

कार्यक्रमवार कार्य–दायित्वों का विस्तृत विवरण अगले भाग में दिया गया है।

प्रशिक्षण

उपरोक्तानुसार ग्राम स्वास्थ्य प्रहरी दल के गठन पश्चात सभी दलों के **प्रशिक्षण** हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाएगी :–

1. उन्मुखीकरण : प्रत्येक जिले में ग्राम स्वास्थ्य प्रहरी दलों हेतु एक दिवस का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। जिले हेतु राज्य स्तर से नियुक्त प्रभारी अधिकारी द्वारा जिले के सभी दलों का उन्मुखीकरण किया जाएगा। इस हेतु तिथि पृथक से सूचित की जाएगी।

2. हमारा स्वास्थ्य हमारा दायित्व प्रशिक्षण : हमारा स्वास्थ्य हमारा दायित्व प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम स्वास्थ्य प्रहरी दलों का प्रशिक्षण विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की आवश्यकतानुसार किया जाएगा। इस हेतु उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। दल के सदस्यों हेतु कौशल विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। ग्राम स्वास्थ्य प्रहरी दल सदस्यों के अतिरिक्त पूर्व में प्रशिक्षक के रूप में चयनित "स्वास्थ्य दूत" भी इस प्रशिक्षण में सम्मिलित होंगे जो कि भविष्य में ग्राम स्वास्थ्य प्रहरी दल द्वारा किए जा रहे पर्यवेक्षण हेतु उत्प्रेरक का कार्य करेंगे।

3. भ्रमण के समय प्रशिक्षण : खण्ड चिकित्सा अधिकारी प्रतिमाह विकासखण्ड के एक तिहाई ग्राम स्वास्थ्य प्रहरी दलों के भ्रमण कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे तथा भ्रमण के दौरान दल के सदस्यों की दक्षता का आकलन करेंगे। जहां भी आवश्यक होगा खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यस्थल पर ही दल सदस्यों को कौशल आधारित प्रशिक्षण देंगे जिससे सदस्यों के तकनीकी कौशल का समुचित स्तर तक विकास हो सके।

मॉनिटरिंग व्यवस्था :

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी क्र. 1 व 2, जिला मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला स्तरीय अन्य सभी कार्यक्रम अधिकारी अपने भ्रमण के दौरान सेक्टर में ग्राम स्वास्थ्य प्रहरी दल द्वारा किए जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग करेंगे तथा अपना प्रतिवेदन संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं को प्रति सप्ताह उपलब्ध कराएंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार जिले में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. एम. गीता)
मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम.

पृ. क्रमांक / NRHM / 2013 / 147 भोपाल, दिनांक 02 / 09 / 2013

प्रतिलिपि : सूचनार्थ प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल
2. आयुक्त, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र., भोपाल
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश
4. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र., भोपाल
5. संचालक, वित्त, एनआरएचएम, म.प्र., भोपाल
6. संयुक्त संचालक, एनआरएचएम, म.प्र., भोपाल
7. समस्त उपसंचालक, एनआरएचएम, म.प्र., भोपाल
8. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, मध्यप्रदेश

(डॉ. एम्. गीता)
मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम.

कार्यक्रमवार दायित्वों का विस्तृत विवरण

इस भाग में विभिन्न स्तर पर उपस्थित सेवा–प्रदाता की जिम्मेदारी व जवाबदेही विस्तृत रूप से बताया गया है।

कार्यक्रमवार दायित्वों का विस्तृत विवरण

प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्युदर को कम करने के उद्देश्य से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सघन मॉनिटरिंग हेतु ग्राम स्वास्थ्य प्रहरी दल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रत्येक कार्यक्रम हेतु दल के प्रत्येक सदस्य के लिए विशिष्ट दायित्वों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :–

मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम

सेक्टर चिकित्सक

- ग्राम आरोग्य केन्द्र में प्रसव पूर्व जांच हेतु कियाशील बी.पी. उपकरण, वेईंग मशीन, हिमोग्लोबिनोमीटर / कलर स्केल, एन / 10 एच.सी.एल., पीपेट, यूरिस्टिक्स प्रेग्नेंसी टेस्ट किट की व्यवस्था करे।
- आई.एफ.ए. एवं फोलिक एसिड का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करे।
- प्रत्येक महिला को सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका तथा एम.सी.पी. कार्ड प्रदान करे।
- संस्था पर प्रसव पूर्व जांच हेतु मंगलवार एवं शुक्रवार नियत है इसकी जानकारी दे।
- ए.एन.सी. जांच के लिए ए.एन.एम. को मासिक बैठक के दौरान प्रराव पूर्व जांच हेतु उन्मुखीकरण प्रदान करे।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत निःशुल्क सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करे।
- क्षेत्र में क्रियाशील डिलेवरी पाईंट्स पर जननी एक्सप्रेस के माध्यम से प्रत्येक महिला को निवास से चिकित्सालय तथा डिस्चार्ज उपरांत निवास तक छोडने हेतु ड्रापबैक सुविधा उपलब्ध करे।
- हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं हेतु पृथक से पंजी संधारित की जाये तथा उनकी चिन्हांकन एवं ट्रेकिंग की जाये।
- अपने क्षेत्र में आने वाले सभी डिलेवरी पाईंट्स पर आगामी दो माह में होने वाली डिलेवरी की ड्यू लिस्ट तैयार कराई जाए। इस ड्यू लिस्ट में हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं विशेषकर गंभीर एनेमिया से ग्रसित महिलाओं का चिन्हांकन लाल रंग से की जाये तथा इनकी प्रबंधन हेतु ट्रेकिंग की जाये।
- अपने क्षेत्र में होने वाले सभी गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव सुनिश्चित किया जाये।
- अपने क्षेत्र के सभी महिलाओं की प्रसव उपरांत चार जांच आशा द्वारा गृह भेंट कर सुनिश्चित की जाये तथा आयरन की गोलियां देते हुए एम.सी.पी. कार्ड में प्रविष्टि की जाये।
- गर्भपात हेतु इच्छुक सभी महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात हेतु चिन्हित संस्था में रेफर कर सुरक्षित गर्भपात सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।
- अपने क्षेत्र में होने वाले सभी 15–49 साल की महिलाओं की मृत्यु की सूचना आशा द्वारा सेक्टर प्रभारी एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारी को दी जाये तथा यह सुनिश्चित की जाये कि सभी महिला मृत्यु की समीक्षा खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों अनुसार किया जाये तथा मातृ मृत्यु होने पर सुधारात्मक / अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।
- प्रसव पूर्व आने वाली महिलाओं के आधार कार्ड नम्बर एवं बैंक एकाउंट की प्रविष्टि करवाए तथा आधार कार्ड न होने की स्थिति में जिला यू.आई.डी. अधिकारी के सहयोग से मशीन उपयुक्त स्थान परलगवाई जाए।

- गर्भ की जांच करने वाली किट के उपयोगिता एवं उपलब्धता की समीक्षा करे।
- प्रेग्नेंसी टेस्ट किट के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी जो आशा एवं ए.एन.एम. को तैयार करना है कि मॉनिटरिंग करे।
- क्वालिटि एश्योरेंस के अतंर्गत की जा रही गतिविधियों का अवलोकन करना एवं ब्लॉक स्तर पर Supportive Supervision की कार्ययोजना बनाए।

एम.पी.डब्लू. (पुरूष)

- माइक्रोप्लान अनुसार नियत दिवस पर नियत स्थान (प्राथमिकता के आधार पर ग्राम आरोग्य केन्द्र) पर ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के सत्र आयोजित करे।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के आयोजन हेतु आवश्यक सामग्री एवं औषधियों की व्यवस्था करे।
- प्रत्येक गर्भवती महिला तथा बच्चों की एम.सी.पी. कार्ड में आवश्यक प्रविष्टि कर सेवाऐं प्रदान करे एवं काउंटर फॉइल में एन्ट्री कर स्वयं के उपयोग हेतु संधारित करे।
- प्रत्येक गर्भवती महिला को सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका प्रदान करे।
- ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के दिवस पर आवश्यक प्रचार–प्रसार सामग्री उपलब्ध कराएं।
- गंभीर रक्त अल्पता से ग्रसित गर्भवती महिलाओं को सूचीबद्ध कर, आवश्यक प्रबंधन हेतु उच्च संस्था में रेफर करे।
- अन्य जटिलताओं का विवरण एम.सी.टी.एस. में प्रविष्टि करे।

एल.एच.व्ही./हेल्थ सुपरवाईजर

- ए.एन.एम के समस्त कार्यो का सुपरविजन करें ।
- अधीनस्थ क्षेत्र में आयोजित होने वाले ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस दी जाने वाले समस्त सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करे।
- प्रसव पूर्व जांच का प्रशिक्षण ए.एन.एम. को प्रदान करें।
- आशा एवं ए.एन.एम. के कार्यो का जैसे– गृहभेंट, टीकाकरण आदि का पर्यवेक्षण हो।
- अपने सेक्टर के अंतगत आने वाली संस्थाओं में शिशु स्वास्थ्य हेतु निःशुल्क दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित हो।
- आशा एवं ए.एन.एम. के कार्यो का सुपरविज़न हो रहा है।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण सत्र हेतु निर्धारित कैलेन्डर अनुसार ए.एन.एम. के भ्रमण कार्य की समीक्षा करे
- स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति की नियमित बैठक होना सुनिश्चित करे एवं पाई गई कमियों में सुधार लाने हेतु उचित कार्यवाही करे।

- ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर गर्भवती महिलाओं। की सम्पूर्ण जांच (हिमोग्लोबिन, पेशाब, बी.पी. तथा पेट की जांच) करे।
- एम.सी.पी. कार्ड में प्रविष्टि करें तथा गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के संबंध में आवश्यक जानकारी जैसे आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, कॉल सेंटर आदि की जानकारी प्रदान करें।
- एम.सी.टी.एस. पंजीयन एवं अद्यतन फार्म में गर्भवती महिलाओं के विषय में आवश्यक जानकारी भरकर ए.वी.डी. के माध्यम से कोल्ड चैन फोकल पाईंट पर उपलब्ध कराएं।
- खतरे के लक्षण जैसे गंभीर खून की कमी, उच्च रक्तचाप, खून आना, उल्टा/आडा/जुडवां गर्भ आदि पाये जाने पर तुरंत कियाशील स्वास्थ्य संस्था पर गर्भवती को जननी एक्सप्रेस वाहन के माध्यम से रेफर करें।
- सामान्य हिमोग्लोबिन होने पर (11 ग्राम के उपर) आई.एफ.ए. की एक बड़ी गोली तथा खून की कमी (8 से 11 ग्राम) पाने पर आई.एफ.ए. की दो बड़ी गोली के सेवन हेतु सलाह दे।
- सुदूर गांव की जटिल गर्भावस्था वाली महिलाओं को प्रसव की संभावित तिथि के एक सप्ताह पूर्व क्रियाशील सीमॉक में भर्ती कराएं जिससे समय पर उचित प्रबंधन किया जा सके।
- गर्भवती महिला की तृतीय अथवा चतुर्थ प्रसवपूर्व जांच चिकित्सक द्वारा कराएं।
- गंभीर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं हेतु पृथक से पंजी संधारित कर ट्रेकिंग सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को निर्धारित तिथि अनुसार ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन किया जाएं।
- प्रत्येक सोमवार, बुधवार, गुरूवार को ए.एन.एम. द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार गृह भेंट की जाए।

शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम

सेक्टर चिकित्सक

- शिशु एवं बाल मृत्यु के प्रकरणों में समुदाय स्तर पर चाइल्ड डेथ रिव्यू प्रणाली का क्रियान्वयन।
- स्वास्थ्य संस्थाओं में कम वज़न के बच्चों की सूची की उपलब्धता।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष तक की आयु के बच्चों हेतु निर्धारित सेवाओं की निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- बच्चों में निमोनिया एवं दस्तरोग प्रबंधन हेतु सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में ऐन्टीबायोटिक, ज़िक एवं ओ.आर.एस. की उपलब्धता सुनिश्चित करना।।
- एस.एन.सी.यू. से डिस्चार्ज नवजात शिशुओं का एस.एन.सी.यू. में फॉलोअप (आठ दिवस, एक माह, तीन माह, छः माह, एक वर्ष) पर एवं सामुदायिक फॉलोअप (पहले, तीसरे, सातवें, चौदवें, इक्कीसवें एवं अठ्ठाईसवें दिन) सुनिश्चित करें।

एल.एच.व्ही.

- ए.एन.एम. द्वारा किये गये कार्यों का सत्यापन करना।
- ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस पर शिशुओं का वज़न एवं टीकारण सुपरवाईज़ करना।
- चाईल्ड डेथ रिव्यू प्रणाली में सहयोग करना।
- नवजात शिशु में खतरे के चिन्ह पहचानने के संबंध में आशा, ए.एन.एम. एवं माताओं के साथ चर्चा करेंगे।
- नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष तक के बच्चों को हितग्राही के रूप में चिन्हित किया गया है, इस जानकारी का प्रचार–प्रसार करना।
- एन्टीबायोटिक तथा ज़िंक एवं ओ.आर.एस. की ग्राम आरोग्य केन्द्र, आशा किट तथा ए.एन.एम. के पास उपलब्धता एवं उपयोग सुनिश्चित करना।
- एस.एन.सी.यू. से डिस्चार्ज नवजात शिशुओं का एस.एन.सी.यू. में फॉलोअप (आठ दिवस, एक माह, तीन माह, छः माह, एक वर्ष) पर एवं सामुदायिक फॉलोअप (पहले, तीसरे, सातवें, चौदवें, इक्कीसवें एवं अठ्ठाईसवें दिन) सुनिश्चित करें।

ए.एन.एम.

- सभी शिशुओं एवं बच्चों का संम्पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना।
- एस.एन.सी.यू. से डिस्चार्ज नवजात शिशुओं के सामुदायिक फॉलोअप (पहले दिन, तीसरे दिन, सातवें दिन, चौदहवे दिन, इक्कीसवें दिन, अठ्ठाईसवें दिन) हेतु आशा को प्रेरित करना एवं मॉनिटरिंग करना।
- दस्त रोग में ओ.आर.एस. एवं ज़िंक को बढ़ावा देना।
- गंभीर नवजात शिशुओं को एस.एन.सी.यू. में जननी एक्सप्रेस वाहन के माध्यम से रेफर करना।
- समुदाय स्तर से होने वाली शिशु मृत्यु को तत्काल जिला स्तर पर रिपोर्ट करना।

एम.पी.डब्ल्यू. (पुरूष)

- दस्तरोग प्रबंधन एवं रोकथाम हेतु ओ.आर.एस. एवं ज़िंक के संबंध में समुदाय में जागरूकता का प्रचार–प्रसार करना।
- चाईल्ड डेथ रिव्यू प्रणाली हेतु सहयोग प्रदान करना– आशा द्वारा 24 घंटे के अन्दर बाल मृत्यु की रिपोर्टिंग सुनिश्चित कराना।
- माईक्रो प्लान अनुसार ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर नियत स्थान पर कार्य संपादित करना।

शिशु स्वास्थ्य पोषण कार्यक्रम

सेक्टर चिकित्सक

- समस्त अति कम वज़न बच्चों एवं गंभीर कुपोषित बच्चों का यथोचित उपचार सुनिश्चित करना।
- पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती बच्चों का समुचित रेफरल करना।
- पोषण पुनर्वास केन्द्र के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक औषधि तथा सामग्री की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- ग्राम आरोग्य केन्द्रों में भ्रमण के दौरान अति कम वज़न एवं गंभीर कुपोषित बच्चों की सूची आशा से प्राप्त कर बीमार बच्चों की जांच सुनिश्चित करना।
- समस्त प्रसवोत्तर माताओं द्वारा जन्म के 1 घंटे के भीतर शीघ्र स्तनपान तथा 6 माह तक अनन्य स्तनपान एवं तदोपरांत शिशु को संपूरक आहार देने संबंधी परामर्श देना।
- बाल एनीमिया से ग्रस्त बच्चों में आई.एफ.ए. सीरप का अनुपूरण एवं गंभीर एनीमिया का यथोचित उपचार सुनिश्चित करना।
- बाल सुरक्षा माह के दौरान स्वास्थ्य संस्था में समस्त 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को विटामिन 'ए' का घोल एवं कृमिनाशक एल्बेंडाज़ोल सीरप पिलाना।

एल.एच.व्ही.

- ए.एन.एम. द्वारा किये गये कार्यों का समय–समय पर सत्यापन करना।
- ग्राम आरोग्य केन्द्रों पर प्रदायित सेवाओं की मॉनीटरिंग करना।
- ए.एन.एम. द्वारा संधारित ग्राम के समस्त अति कम वज़न एवं गंभीर कुपोषित बच्चों की नामबद्ध सूची का मैदानी स्तर पर पुनः सत्यापन करना।
- चिन्हित बच्चों के रेफरल संबंधी की गई कार्यवाही की समीक्षा करना।
- भ्रमण के दौरान कम वज़न बच्चों की माताओं को बच्चे के खान–पान संबंधी उचित सलाह देना।
- बाल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत हितग्राही बच्चों के घर पर रेन्डम आधार पर गृह भेंट कर आई.एफ.ए.बोतल की जांच कर बच्चे के द्वारा रोज़ाना दवा पीने का सत्यापन करना।

ए.एन.एम.

- प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण एवं जन्म उपरांत बच्चे की एम.सी.टी.एस. के माध्यम से ट्रेकिंग करना।
- गर्भावस्था के दौरान माँ को उचित पोषण की सलाह देना एवं आई.एफ.ए. गोलियों का सेवन सुनिश्चित करना।
- समस्त धात्री माताओं को 6 माह तक अनन्य स्तनपान कराने की सलाह देना।

- राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी अनुसार समस्त बच्चों का शत–प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करना।
- ग्राम के समस्त अति कम वज़न एवं गंभीर कुपोषित बच्चों की नामबद्ध सूची आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आशा से प्राप्त कर रिकार्ड संधारित करना।
- सूचीबद्ध बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण पर ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के दौरान विशेष ध्यान देना।
- ऐसे बच्चों में कान बहना, गले में खराश, सर्दी–जुखाम, बुखार, चर्म रोग जैसे – फोड़े–फुन्सी आदि की शिकायत प्रायः पायी जाती है, जिसका तुरंत यथोचित उपचार सुनिश्चित करना, ताकि यह बच्चे कुपोषण – बीमारी – कुपोषण के कु–चक्र से बाहर आ सके।
- बाल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त 6–60 माह के बच्चों को वर्ष में एक बार आई.एफ.ए. सीरप की 100 एम.एल. की एक बोतल कृमिनाशन हेतु एल्बेंडाज़ोल सीरप प्रदायित करना।
- गंभीर एनीमिया से ग्रस्त बच्चे को उचित उपचार/रक्ताधान हेतु रेफर करना।
- बाल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम हेतु आवश्यक आई.एफ.ए. सीरप की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- बाल सुरक्षा माह के दौरान वर्ष में दो बार समस्त 9 माह से 5 वर्षीय बच्चों को विटामिन ए का अनुपूरण करना।

एम.पी.डब्ल्यू. (पुरूष)

- माइक्रोप्लान अनुसार नियत दिवस पर नियत स्थान (प्राथमिकता के आधार पर ग्राम आरोग्य केन्द्र) पर ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के सत्र आयोजित करना।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के आयोजन हेतु आवश्यक सामग्री एवं औषधियों का आंकलन एवं व्यवस्था करना।
- आशा द्वारा सूचीबद्ध बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण पर ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस के दौरान विशेष ध्यान देना।
- ग्राम एवं स्वास्थ्य पोषण दिवस हेतु आवश्यक प्रचार–प्रसार सामग्री उपलब्ध कराना।
- वर्ष में दो बार आयोजित बाल सुरक्षा माह के दौरान बच्चों में सूक्ष्म पोषक तत्वों के अनुपूरण हेतु समस्त हितग्राही आयु वर्ग के बच्चों की डियू लिस्ट तैयार करना।
- पोषण पुनर्वास केन्द्रों से छुटटी उपरांत बच्चों को परिजनों को फॉलो–अप हेतु समझाईश देना।

टीकाकरण कार्यक्रम

सेक्टर चिकित्सक

- माईक्रोप्लान ग्रामवार नियमित टीकाकरण माईक्रोप्लान तैयार कर ब्लाक की सूक्ष्म कार्य योजना निर्माण कराना।
- **अतिरिक्त वेक्सिनेटर** पहुंचविहिन एवं कार्यकर्ता विहिन क्षेत्रों में अतिरिक्त वेक्सिनेटर की व्यवस्था करना।
- **प्रचार प्रसार** हेतु टीकाकरण नारेलेखन, वालपेन्टिगं, बैनर, पोस्टर सत्र स्थल पर प्रदर्शित कराना।

- **मानिटरिंग एवं सुपरविजन** टीकाकरण सत्र मानिटरिंग एवं सुपरविजन योजना अनुसार सुनिश्चित करना।
- **रिपोर्टिंग** प्रति सप्ताह सोमवार को ए.एफ.पी, मीजल्स, वी.पी.डी, की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना।
- **एम.सी.टी.एस** डाटा एनालिसिस के आधार पर अपडेशन की समीक्षा करना।
- **प्रशिक्षण..** ए.एन.एम, एम.पी.डब्लू, एल.एच.बी, सुपरवाईजर कोल्ड चेन हेन्डलर, आशा, आंगनवाडी को ऑन द जॉब ट्रेनिंग देना।
- **वेक्सीन एवं लाजिस्टिक** की डिमान्ड एवं सप्लाई मानीटर एवं समन्वय करना।
- **वेस्ट डिस्पोजल** प्रत्येक सत्र स्थल पर लाल–काले बेग एवं हबकटर की उपलब्धता एवं इस्तेमाल हो देखें तथा सेफ्टी पिट मे विधिवत मंगलवार एवं शुक्रवार की सांय को वेस्ट मटेरियल डाले जाने का सुपरविजन।
- **नो वर्क नो पे** टीकाकरण कार्यदिवस (मंगलवार एवं शुक्रवार) को अकारण अनुपस्थिती को नो वर्क नो पे करें।
- **अंतरिम कार्य व्यवस्था** ए.एन.एम के लंबे अवकाश या स्थानान्तरण होने पर अंतरिम कार्य व्यवस्था के तहत आर.सी.एच. ए.एन.एम या ऐडिशनल वेक्सिनेटर को लगाएं।
- **ए.ई.एफ.आई मेनेजमेन्ट** किसी भी सत्र में टीकाकरण पश्चात कोई भी बच्चे को प्रतिक्रिया पश्चात गम्भीर लक्षण होने या मृत होने पर तुरन्त सूचना तथा एफ.आई.आर 24 घण्टे में पी.आई.आर एक सप्ताह में की जा रही है तथा डी.आई.आर एक माह में भेजी जा रही है यह सुनिश्चित करें।
- **रेफरल सेवायें** किसी भी शिशु को गंभीर ए.ई.एफ.आई होने पर 108/जननी सुरक्षा वाहन सेवाये निशुल्क रिफरल हेतु उपलब्ध है आशा एवं आंगनवाडी के माध्यम से प्रचार प्रसार करवाऐं।
- **सर्वलेन्स** सात जानलेवा बीमारी के किसी भी पीडित केस को पाये जाने पर तुरन्त सूचना डी.एम. सी.एच.ओ को दें तथा ओ.आर.आई एवं फालोअप करे तथा साप्ताहिक सर्वलेन्स रिपोर्ट भेजें।
- **आशा पेमेन्ट** टीकाकरण पार्ट सी के अंतर्गत आशा को पुर्णतः सुरक्षित राशि 100रु, बुस्टर मानदेय 50रु एवं सत्र मोबिलाईजेशन राशि 150रु प्रतिमाह आकलन पश्चात एकल खिडकी व्यवस्था से करे।

ए. एन. एम.

- सबसेन्टर के अर्न्तगत आने वाले ग्रामों और मंजरे की सूची तैयार करें ।
- वास्तविक जनसंख्या, लाभार्थियों की पहचान एवं वार्षिक एवं मासिक लक्ष्य निर्धारण हेतु ।ठब्क सर्वे माह अप्रैल में कर प्रतिमाह नए जन्में शिशु एवं गर्भवती महिला की नामावली , एम.सी.टी.एस.फार्म में अंकित कर, अपडेट करना ।
- लाभार्थियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु मासिक टीकों एवं विटामिन ए की गणना करना ।
- गॉवो एवं मंजरे में सत्रों का आयोजन इन्जेक्शन लोड अनुसार निर्धारण यथा 25–50 इजेक्शन 1 सत्र प्रतिमाह, 50 से अधिक इन्जेक्शन माह में दो बार सत्र लगायें एवं 25 इन्जेक्शन से कम 1 सत्र प्रति 2 माह में तथा दुर्गम क्षेंत्रो में वर्ष में न्यूनतम 4 सत्र लगायें।
- वैक्सीन वाहन हेतु रूट चार्ट दूरी समय एवं कार्यदिवस बनाकर देना।

परिवार कल्याण कार्यक्रम

सेक्टर चिकित्सक

- स्थाई एवं अस्थाई साधनों की आवश्यकता के आकलन अनुसार ग्रामवार उपयोगकर्ताओं की सूची अनुसार समीक्षा करना ।
- पी.पी.आई.यू.सी.डी. के महत्व से स्वस्थ ग्राम समिति सदस्यों को अवगत कराना ।

एल.एच.व्ही./हेल्थ सुपरवाईजर

- ए.एन.एम के समस्त कार्यों का सुपरविजन करें ।
- अधीनस्थ क्षेत्र में ए.एन.एम. द्वारा लगाई गई वाली आई.यू.सी.डी. का पर्यवेक्षण करे।
- पुरूष उपयोगकर्त्ताओं से अस्थाई साधनों तथा एन.एस.व्ही. के संबंध में चर्चा करना ।

पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता

- ग्राम की योग्य दंपत्ति सूची के अनुसार पुरूषों को निरोध तथा एन.एस.व्ही. हेतु प्रेरित करना ।
- ग्राम स्वास्थ्य पंजी में योग्य दंपत्ति सूची को अद्यतन करना ।

ए.एन.एम

- अधीनस्थ क्षेत्र में आई.यू.सी.डी. निवेशन करना ।
- पी.पी.आई.यू.सी.डी. हेतु हितग्राहियों को प्रेरित करना ।

शुद्ध पेय जल तथा स्वच्छता

सेक्टर चिकित्सक

- ग्राम के पेयजल स्रोतों में जलशुद्धिकरण की समीक्षा करना ।

पुरूष पर्यवेक्षक

- यदि ग्राम में हैण्डपम्प खराब हों तो हैण्डपम्प मैकनिक से चर्चा कर मरम्मत सुनिश्चित करना।
- स्वस्थ ग्राम समिति सदस्यों से ग्राम में स्वच्छता संबंधी गतिविधियों की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण।
- ब्लीचिंग पाउडर तथा क्लोरीन गोली की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता

- ग्राम के पेयजल स्रोतों में जल शुद्धिकरण करना।
- आवश्यकतानुसार क्लोरीन गोली का वितरण करना।
- स्वस्थ ग्राम समिति द्वारा ग्राम की स्वच्छता के लिए किए जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण करना।

संचारी रोग नियंत्रण

सेक्टर चिकित्सक

- ग्राम में मलेरिया प्रकरणों तथा मलेरिया की रोकथाम के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना।
- ग्राम में क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग के संभावित रोगियों की सूची अनुसार आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना।
- दस्त रोग तथा निमोनिया के प्रकरणों की समीक्षा कर इन रोगों हेतु आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

पुरूष पर्यवेक्षक

- ग्राम में रक्त पट्टी संग्रहण, पॉज़ीटिव प्रकरणों तथा रेडीकल उपचार की समीक्षा करना।
- ग्राम में क्षय रोग के संभावित रोगियों की खखार पट्टी जांच तथा डॉट्स उपचार की समीक्षा करना।
- ग्राम में कुष्ठ रोग के संभावित रोगियों की जांच हेतु शिविर आयोजन की व्यवस्था करना।
- आशा तथा ग्राम आरोग्य केन्द्र में सभी संचारी रोगों हेतु औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता

- ग्राम में बुखार के रोगियों का रक्त पट्टी संग्रहण तथा जांच के लिए भेजना।
- क्षय रोग के लिए डॉट्स प्रोवाइडर के पास औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आशा की औषधि किट तथा ग्राम आरोग्य केन्द्र में औषधियों की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करना।

स्वास्थ्य सेवाएँ गारंटी योजना

इसके तहत विभाग जन समुदाय को मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। इस भाग में स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलने का स्थान व जवाबदेह सेवा प्रदाता का विस्तृत वर्णन है।

स्वास्थ्य सेवाऐं गारंटी योजना

स्थानः- ग्राम आरोग्य केन्द्र :-

क्र०	स्वास्थ्य सेवायें	सेवा प्रदायकर्ता/ जवाबदेह नंबर-१	जवाबदेह नंबर-२
	ममता अभियान		
१	ग्राम में पंजीयन - विवाह, गर्भ, जन्म, एवं मृत्यु	आशा कार्यकर्ता	महिला/पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता
२	गर्भवती महिलाओं, पांच वर्ष के आयु के बच्चों, लक्ष्य दम्पत्ति, हाई रिस्क गर्भावस्था वाली महिलाओं, कुपोषित बच्चों, कम वजन के बच्चों की सूची ग्राम स्वास्थ्य पंजी में संधारित करना।	आशा कार्यकर्ता	महिला/पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता
३	निर्धारित ५ जांचें एवं १६ प्रकार की आव यक दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	आशा कार्यकर्ता	महिला/पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता
४	ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर पात्र गर्भवती महिलाओं की सम्पूर्ण प्रसवपूर्व जांच एवं बच्चो को एकत्रित कर टीकाकरण एवं जांच करवाना।	आशा कार्यकर्ता	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता
५	संस्थागत प्रसव हेतु समस्त गर्भवती महिलाओं को तथा हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं, बीमार बच्चों को स्वास्थ्य संस्था में जननी एक्सप्रेस/ई.एम.आर.आई. १०८ के माध्यम से लेकर जाना।	आशा कार्यकर्ता	
६	गर्भवती महिलाओं, किशोरी बालिकाओं एवं बच्चों को ""। की गोलिया/सिरप उपलब्ध कराना।	आशा कार्यकर्ता	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता
७	दस्त रोग होने पर बच्चों को ORS एवं जिंक टेबलेट, निर्धारित प्रावधान अनुसार उपलब्ध कराना।	आशा कार्यकर्ता	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता
	प्रेरणा अभियान		
८	लक्ष्य दंपतियों को अस्थाई साधन उपलब्ध कराना (कण्डोम एवं ओरल पिल्स) एवं अन्य साधनों के लिए प्रेरित करना।	आशा कार्यकर्ता	महिला/पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता
	आस्था अभियान		
९	टी.बी., कुष्ठ एवं मोतियाबिंद के संभावित रोगियों को हायर सेंटर रेफर करना	आशा कार्यकर्ता	पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता

१०	बुखार होने पर गर्भवती महिलाओं तथा अन्य मरीजों की खून की जांच आर .डी. किट से करना तथा पॉजिटिव पाये जाने पर मौलिक उपचार प्रदान करना।	आशा कार्यकर्ता	पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता
११	महामारी/मौसमी बीमारी की सूचना सेक्टर चिकित्सा अधिकारी को देना एवं प्राथमिक उपचार करना।	आशा कार्यकर्ता	पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता
	अन्य		
१२	ग्राम स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित करना।	आशा कार्यकर्ता	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता
१३	आशा किट में उपलब्ध दवाईयों को वितरित करना एवं स्टॉक की उपलब्धता निरंतर बनाये रखना।	आशा कार्यकर्ता	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता

नोट - ग्राम आरोग्य केन्द्रों के सूचना पटल पर उपरोक्त जानकारी प्रदर्शित की जाये। ग्राम आरोग्य केन्द्र पर सेवा प्रदायगी की मॉनिटरिंग स्वास्थ्य प्रहरी दल के संयोजक द्वारा नियमित रूप की जायेगी। सूचना पटल पर आशा, महिला एवं पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा संयोजक प्रहरी दल का दूरभाष क्रमांक प्रदर्शित करना होगा।

स्थान :- उप स्वास्थ्य केन्द्र :-

क्र०	स्वास्थ्य सेवायें	सेवा प्रदायकर्ता/ जवाबदेह नंबर-१	जवाबदेह नंबर-२
	ममता अभियान		
१	ग्रामवार पंजीयन - विवाह, गर्भ, जन्म, एवं मृत्यु की सूची संधारित करना।	महिला/पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	सेक्टर सुपरवाईजर
२	ग्रामवार गर्भवती महिलाओं, पांच वर्ष के आयु के बच्चों, लक्ष्य दम्पत्ति, हाई रिस्क गर्भावस्था वाली महिलाओं, कुपोषित बच्चों, कम वजन के बच्चों की सूची ग्राम स्वास्थ्य पंजी में संधारित करना।	महिला/पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	सेक्टर सुपरवाईजर
३	उप स्वास्थ्य केन्द्र पर निर्धारित ५ जांचें एवं २४ प्रकार की आव यक दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	महिला/पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	सेक्टर सुपरवाईजर
४	ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर पात्र गर्भवती महिलाओं की सम्पूर्ण प्रसवपूर्व जांच एवं बच्चो का टीकाकरण एवं जांच कर एम.सी.पी. कार्ड एवं सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका प्रदान करना।	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	सेक्टर सुपरवाईजर
५	प्रसूता महिला एवं नवजात शिशु का न्यूनतम ६ फोलोअप करना।	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	सेक्टर सुपरवाईजर
६	हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं, बीमार बच्चों को प्राथमिक उपचार उपरांत उच्च स्वास्थ्य संस्था में जननी एक्सप्रेस/ई.एम.आर.आई. १०८ के माध्यम से लेकर जाना।	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	सेक्टर सुपरवाईजर
७	गर्भवती महिलाओं, किशोरी बालिकाओं एवं बच्चों को ऋ की गोलिया/सिरप उपलब्ध कराना।	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	सेक्टर सुपरवाईजर
८	दस्त रोग होने पर बच्चों को ORS एवं जिंक टेबलेट, निर्धारित प्रावधान अनुसार उपलब्ध कराना।	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	सेक्टर सुपरवाईजर
९	एम.सी.एच. लेवल १ उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर सुरक्षित प्रसव सेवाऐं प्रदान करना तथा प्रसूता को भोजन एवं निःशुल्क पिकअप एवं ड्रापबैक की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	एस.बी.ए. प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	सेक्टर सुपरवाईजर
	आस्था अभियान		
१०	टी.बी., कुष्ठ एवं मोतियाबिंद के संभावित रोगियों को हायर सेंटर रेफर करना	पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	सेक्टर सुपरवाईजर

११	बुखार होने पर गर्भवती महिलाओं तथा अन्य मराजों की खून की जांच आर.डी. किट से करना तथा मौलिक उपचार करना।	पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	सेक्टर सुपरवाईजर
१२	महामारी/बीमारी की सूचना सेक्टर चिकित्सा अधिकारी को देना एवं प्राथमिक उपचार करना।	पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	सेक्टर सुपरवाईजर
प्रेरणा अभियान			
१३	लक्ष्य दंपतियों को अस्थाई साधन उपलब्ध कराना (कैण्डोम, कॉपर-टी निवेष एवं ओरल पिल्स)	महिला/पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	सेक्टर सुपरवाईजर
अन्य			
१४	बुधवार एवं शनिवार को उप स्वास्थ्य केन्द्रा पर ओ. पी.डी. संचालित करना।		
१५	अधीनस्थ ग्रामों में सुरक्षित पेयजल व्यवस्था एवं साफ-सफाई हेतु ब्लीचिंग पावडर कुओं में डलवाना।	महिला/पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	सेक्टर सुपरवाईजर

नोट - उप स्वास्थ्य केन्द्रों के सूचना पटल पर उपरोक्त जानकारी प्रदर्शित की जाये। उप स्वास्थ्य केन्द्र पर सेवा प्रदायगी की मॉनिटरिंग स्वास्थ्य प्रहरी दल के संयोजक द्वारा नियमित रूप की जायेगी। सूचना पटल पर महिला एवं पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा संयोजक प्रहरी दल का दूरभाष क्रमांक प्रदर्शित करना होगा।

स्थान :-

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र :-

क्र०	स्वास्थ्य सेवायें	सेवा प्रदायकर्ता/ जवाबदेह नंबर-१	जवाबदेह नंबर-२
	ममता अभियान		
१	केन्द्र पर ओ.पी.डी. संचालित कर निःशुल्क १६ जांचें एवं ७१ प्रकार की दवाईयां उपलब्ध कराना।	सेक्टर चिकित्सा अधिकारी	बी.एम.ओ.
२	बीमॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर २४ घण्टे आकस्मिक चिकित्सा एवं प्रसव सुविधा तथा आवश्यक नवजात शिशु देखभाल सेवाऐं उपलब्ध करना।	सेक्टर चिकित्सा अधिकारी/स्टॉफ नर्स/ए.एन.एम.	विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी
३	रोगियों को निःशुल्क ७१ प्रकार की दवाईयांा, निःशुल्क १६ जांचें एवं भरती मरीजों को भोजन उपलब्ध कराना। समस्त गर्भवती महिलाओं एवं बीमार बच्चों को निःशुल्क परिवहन (पिकअप एवं ड्रपबैक) सुविधा।	सेक्टर चिकित्सा अधिकारी/स्टॉफ नर्स/ए.एन.एम.	बी.एम.ओ./बी.पी.एम.
४	गर्भवती महिलाओं की सम्पूर्ण प्रसवपूर्व जांच एवं बच्चो का टीकाकरण एवं जांच कर एमसी.पी. कार्ड एवं सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका प्रदान करना।	सेक्टर चिकित्सा अधिकारी/स्टॉफ नर्स/ए.एन.एम.	बी.एम.ओ./
५	हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं, बीमार बच्चों को प्राथमिक उपचार उपरांत उच्च स्वास्थ्य संस्था में जननी एक्सप्रेस/ई.एम.आर.आई. १०८ के माध्यम से लेकर जाना।	सेक्टर चिकित्सा अधिकारी/स्टॉफ नर्स/ए.एन.एम.	बी.एम.ओ.
६	चिन्हांकित केन्द्रों पर एम.एम.ए. तथा एम.व्ही.ए. द्वारा सुरक्षित गर्भपात सेवाऐं आवश्कतानुसार प्रदान करना।	सेक्टर चिकित्सा अधिकारी	बी.एम.ओ.
७	दस्त रोग होने पर बच्चों को ORS एवं जिंक टेबलेट, निर्धारित प्रावधान अनुसार उपलब्ध कराना।	सेक्टर चिकित्सा अधिकारी	बी.एम.ओ.
	आस्था अभियान		
८	टी.बी., कुष्ठ एवं मोतियाबिंद के रोगियों का परीक्षण एवं प्रबंधन।	सेक्टर चिकित्सा अधिकारी	बी.एम.ओ.
९	प्राप्त रक्तपट्टियों की जांच कर परिणाम से सूचित करना।	लेब टेक्नीशियन	चिकित्सा अधिकारी

१०	महामारी/मौसमी बीमारी की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल प्रस्तान करना हेतु रोग नियंत्रण की कार्यवाही करना।	प्राप्त रक्तपट्टियों की जांच कर परिणाम से सूचित करना।	तीन दिवस
११	दृष्टिदोष वाले बच्चों का परीक्षण एवं चश्में का वितरण।	सेक्टर चिकित्सा अधिकारी/स्टॉफ नर्स/ए.एन.एम.	बी.एम.ओ.
१२	मलेरिया रोगियों का मौलिक उपचार, चिकन गुनिया एवं डेंगु के संभावित मरीजों की जांच/उपचार/आवश्यकतानुसार रेफरल	सेक्टर चिकित्सा अधिकारी	बी.एम.ओ.
प्रेरणा अभियान			
१३	लक्ष्य दंपतियों को अस्थाई साधन उपलब्ध कराना (कण्डोम, कॉपर-टी निवेष एवं ओरल पिल्स)	सेक्टर चिकित्सा अधिकारी/स्टॉफ नर्स/ए.एन.एम.	बी.एम.ओ.
१४	चिन्हांकित केन्द्रों पर पुरूष एवं महिला नसबंदी सेवाऐं प्रदान करना।	सेक्टर चिकित्सा अधिकारी	बी.एम.ओ.

नोट - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सूचना पटल पर उपरोक्त जानकारी प्रदर्शित की जाये। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सेवा प्रदायगी की मॉनिटरिंग स्वास्थ्य प्रहरी दल के संयोजक द्वारा नियमित रूप की जायेगी। सूचना पटल पर सेक्टर चिकित्सा अधिकारी, बी.पी.एम., बी.एम.ओं तथा संयोजक प्रहरी दल का दूरभाष क्रमांक प्रदर्शित करना होगा।

स्थान :-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/सिविल अस्पताल :-

क्र०	स्वास्थ्य सेवायें	सेवा प्रदायकर्ता/ जवाबदेह नंबर-१	जवाबदेह नंबर-२
ममता अभियान			
१	केन्द्र पर ओ.पी.डी. संचालित कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में २८ जांचें एवं १०७ प्रकार की निःशुल्क दवाईयां तथा सिविल अस्पताल में ३२ जांचें एवं १ ३१ प्रकार की दवाईयां निशुल्क उपलब्ध कराना।	चिकित्सा अधिकारी	बी.एम.ओ./संस्था प्रभारी
२	बीमॉक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सिविल अस्पताल पर २४ घण्टे आकस्मिक चिकित्सा एवं सामान्य प्रसव सुविधा तथा आवश्यक नवजात शिशु देखभाल सेवाऐं उपलब्ध कराना।	चिकित्सा अधिकारी/स्टॉफ नर्स/ए.एन.एम.	बी.एम.ओ./संस्था प्रभारी
३	सीमॉक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सिविल अस्पताल पर २४ घण्टे आकस्मिक चिकित्सा एवं सीजेरियन प्रसव सुविधा, ब्लड ट्रान्सफयूजन तथा आवश्यक एवं बीमार नवजात शिशु देखभाल सेवाऐं उपलब्ध करना।	स्त्रीरोग/निश्चेतना/शिशु रोग विशेषज्ञ/पी.जी.एम.ओ. /प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी	बी.एम.ओ./संस्था प्रभारी
४	रोगियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में २८ जांचें एवं १०७ प्रकार की निःशुल्क दवाईयां तथा सिविल अस्पताल में ३२ जांचें एवं १३१प्रकार की दवाईयां एवं भरती मरीजों को भोजन उपलब्ध कराना। समस्त गर्भवती महिलाओं एवं बीमार बच्चों को निःशुल्क परिवहन (पिकअप एवं ड्रपबैक) सुविधा।	चिकित्सा अधिकारी/स्टॉफ नर्स/ए.एन.एम.	बी.एम.ओ./संस्था प्रभारी
५	गर्भवती महिलाओं की सम्पूर्ण प्रसवपूर्व जांच एवं बच्चो का टीकाकरण करना।	चिकित्सा अधिकारी/स्टॉफ नर्स/ए.एन.एम.	बी.एम.ओ./संस्था प्रभारी
६	हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को आवश्यकतानुसार, बीमार बच्चों को प्राथमिक उपचार उपरांत उच्च स्वास्थ्य संस्था में जननी एक्सप्रेस/ई.एम.आर.आई. १०८ के माध्यम से लेकर जाना।	चिकित्सा अधिकारी/स्टॉफ नर्स/ए.एन.एम.	बी.एम.ओ./संस्था प्रभारी
७	चिन्हांकित केन्द्रों पर समग्र सुरक्षित गर्भपात सेवाऐं आवश्कतानुसार प्रदान करना।	चिकित्सा	बी.एम.ओ./संस्था प्रभारी
८	बीमार बच्चों का उपचार करना।	चिकित्सा अधिकारी	बी.एम.ओ./संस्था प्रभारी

९	गंभीर कुपाषित बच्चों का एन.आर.सी. में प्रबंधन।	चिकित्सा अधिकारी	बी.एम.ओ./संस्था प्रभारी
	आस्था अभियान		
१०	टी.बी., कुष्ठ एवं मोतियाबिंद के रोगियों का परीक्षण एवं प्रबंधन।	चिकित्सा अधिकारी	बी.एम.ओ./संस्था प्रभारी
११	प्राप्त रक्तपट्टियों की जांच कर परिणाम से सूचित कैर उपचार सुनिश्चित करना।	लेब टेक्नीशियन/चिकित्सा अधिकारी	बी.एम.ओ./संस्था प्रभारी
१२	महामारी/मौसमी बीमारी की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल प्रस्तान करना हेतु रोग नियंत्रण की कार्यवाही करना।	प्राप्त रक्तपट्टियों की जांच कर परिणाम से सूचित करना।	बी.एम.ओ./संस्था प्रभारी
१३	दृष्टिदोष वाले बच्चों का परीक्षण एवं चश्में का वितरण।	चिकित्सा अधिकारी/स्टॉफ नर्स/ए.एन.एम.	बी.एम.ओ./संस्था प्रभारी
१४	मलेरिया रोगियों का मौलिक उपचार, चिकन गुनिया एवं डेंगु के संभावित मरीजों की जांच/उपचार/आवश्यकतानुसार रेफरल	चिकित्सा अधिकारी	बी.एम.ओ./संस्था प्रभारी
	प्रेरणा अभियान		
१५	लक्ष्य दंपतियों को अस्थाई (कण्डोम, कॉपर-टी निवेष, पी.पी.आई.यू.सी.डी. एवं ओरल पिल्स) एवं स्थाई (नसबंदी) साधन उपलब्ध कराना	चिकित्सा अधिकारी/स्टॉफ नर्स/ए.एन.एम.	बी.एम.ओ./संस्था प्रभारी
	अन्य		
१६	शल्यक्रिया, हड्डीरोग, नेत्ररोगत्र ई.एन.टी. एवं अन्य विधाओं के केसेस का आवश्यकतानुसार जांच/उपचार/रेफरल।	विधा संबंधी विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी	बी.एम.ओ./संस्था प्रभारी
१७	मेडिको लीगल केस परीक्षण एवं पोस्टमार्टम	चिकित्सा अधिकारी	बी.एम.ओ./संस्था प्रभारी

स्थान :-

जिला चिकित्सालय :-

क्र०	स्वास्थ्य सेवायें	सेवा प्रदायकर्ता/ जवाबदेह नंबर-१	जवाबदेह नंबर-२
	ममता अभियान		
१	केन्द्र पर ओ.पी.डी. संचालित कर आवश्यतानुसार निशुल्क ४८ जांचें एवं १४७ दवाईयां तथा २२ प्रकार की जीवन रक्षक दवाईयां निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना।	चिकित्सा अधिकारी	सिविल सर्जन
२	२४ घण्टे आकस्मिक चिकित्सा एवं सामान्य, सहायित एवं सीजेरियन प्रसव सुविधा, ब्लड ट्रान्सफयूजन तथा आवश्यक एवं बीमार नवजात शिशु देखभाल सेवाऐं उपलब्ध कराना।	स्त्रीरोग/निश्चेतना/शिशु रोग विशेषज्ञ/पी.जी. एम.ओ. /प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी	सिविल सर्जन
३	रोगियों को निःशुल्क ४८ जांचें एवं १४७ दवाईयां तथा २२ प्रकार की जीवन रक्षक दवाईयां निःशुल्क एवं भरती मरीजों को भोजन उपलब्ध कराना। समस्त गर्भवती महिलाओं एवं बीमार बच्चों को निःशुल्क परिवहन (पिकअप एवं ड्रपबैक) सुविधा।	चिकित्सा अधिकारी/स्टॉफ नर्स/ए.एन.एम.	सिविल सर्जन
४	गर्भवती महिलाओं की सम्पूर्ण प्रसवपूर्व जांच एवं बच्चो का टीकाकरण करना।	चिकित्सा अधिकारी/स्टॉफ नर्स/ए.एन.एम.	सिविल सर्जन
५	हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं एवं बीमार बच्चों का प्रबंधन।	चिकित्सा अधिकारी/स्टॉफ नर्स/ए.एन.एम.	सिविल सर्जन
६	समग्र सुरक्षित गर्भपात सेवाऐं आवश्कतानुसार प्रदान करना।	चिकित्सा अधिकारी	सिविल सर्जन
७	बीमार बच्चों का उपचार करना।	चिकित्सा अधिकारी	सिविल सर्जन
	आस्था अभियान		
८	टी.बी., कुष्ठ एवं मोतियाबिंद के रोगियों का परीक्षण एवं प्रबंधन।	चिकित्सा अधिकारी	सिविल सर्जन
६	प्राप्त रक्तपट्टियों की जांच कर परिणाम से सूचित करना।	लेब टेक्नीशियन	सिविल सर्जन

१०	महामारी/मौसमी बीमारी की सूचनां प्राप्त होने पर तत्काल प्रस्तान करना हेतु रोग नियंत्रण की कार्यवाही करना।	प्राप्त रक्तपट्टियों की जांच कर परिणाम से सूचित करना।	सिविल सर्जन
११	दृष्टिदोष वाले बच्चों का परीक्षण एवं चश्में का वितरण।	चिकित्सा अधिकारी/स्टॉफ नर्स/ए.एन.एम.	सिविल सर्जन
१२	मलेरिया रोगियों का मौलिक उपचार, चिकन गुनिया एवं डेंगु के संभावित मरीजों की जांच/उपचार/आवश्यकतानुसार रेफरल	चिकित्सा अधिकारी	सिविल सर्जन
	प्रेरणा अभियान		
१३	लक्ष्य दंपतियों को अस्थाई (कण्डोम, कॉपर-टी निवेष, पी.पी.आई.यू.सी.डी. एवं ओरल पिल्स) एवं स्थाई (नसबंदी) साधन उपलब्ध कराना	चिकित्सा अधिकारी/स्टॉफ नर्स/ए.एन.एम.	सिविल सर्जन
	अन्य		
१४	ल्यक्रिया, हड्डीरोग, नेत्ररोगत्र ई.एन.टी. आदि केसेस का आवश्यकतानुसार उपचार/रेफरल।	विधा संबंधी विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी	सिविल सर्जन
१५	मेडिको लीगल केस परीक्षण एवं पोस्टमार्टम	चिकित्सा अधिकारी	सिविल सर्जन
१६	अधीनस्थ संस्थाओं से रेफर्ड मरीजों को उपचार प्रदान करना।	विधा संबंधी विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी	सिविल सर्जन
१७	प्रत्येक मृत्यु प्रकरण का डेथ ऑडीट	चिकित्सा अधिकारी/स्टॉफ नर्स/ए.एन.एम.	सिविल सर्जन

सपोर्टिव सुपरविजन चेक लिस्ट

सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए नियमित पर्यवेक्षण करना व उनमें निरंतर सुधार के लिए कदम उठाना आवश्यक है। इस भाग में विभिन्न अधिकारियों की पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी व समयावधि को विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

सपोर्टिव सुपरविजन चेकलिस्ट

क्रमांक	स्तर	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम	पर्यवेक्षण कार्य
१	ग्राम आरोग्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र	ग्राम स्वास्थ्य प्रहरी दल	सप्ताह में न्यूनतम २-४ बार भ्रमण कर निर्धारित सेवा प्रदायगी का पर्यवेक्षण एवं सुधारात्मक कार्यवाही।
२	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / सेक्टर	ग्राम स्वास्थ्य प्रहरी दल	माह में न्यूनतम २ बार भ्रमण सुनिश्चित हो।
		चिकित्सा अधिकारी/बी.पी.एम.यू./विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी	मानकों के अनुरूप प्रदर्शन न करने वाले क्षेत्र के २ उपस्वास्थ्य केन्द्रों माह में कम से कम २ बार भ्रमण एवं माह में कम से कम २ ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस का पर्यवेक्षण सुनिश्चित हो।
३	समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी,	माह में २ बार मानकों के अनुरूप प्रदर्शन न करने वाले क्षेत्र के २ कमजोर सामुदायिक/प्राथमिक/उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भ्रमण सुनिश्चित हो।
		डी.पी.एम.यू./बी.पी.एम.यू.	
४	जिला स्तर	जिला पब्लिक हेल्थ नर्स	माह में न्यूनतम २ बार १ सामुदायिक १ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं १ उपस्वास्थ्य केन्द्र का भ्रमण अथवा २ उपस्वास्थ्य केन्द्र, १ आउटरीच पर्यवेक्षण सुनिश्चित हो।
		मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/डी.एच.ओ.-१/डी.एच.ओ.-२/डी.आई.ओ.	मानकों के अनुरूप प्रदर्शन न करने वाली किसी भी संस्था का भ्रमण एवं आउटरीच माह में कम से कम २ बार सुनिश्चित हो। कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा ममता, आस्था, प्रेरणा एवं कायाकल्प अभियान की निर्धारित सेवाओं का पर्यवेक्षण किया जायेगा।
		डी.पी.एम.यू.	सप्ताह में कम से कम १ बार १ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं १ उपस्वास्थ्य केन्द्र का भ्रमण अथवा

क्रमांक	स्तर	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम	पर्यवेक्षण कार्य
			२ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं १ उपस्वास्थ्य केन्द्र का भ्रमण अथवा १ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, १ उपस्वास्थ्य केन्द्र का भ्रमण, १ आउटरीच पर्यवेक्षण एवं गृह भेंट सुनिश्चित हो।
		कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिला एम.सी. एच.अधिकारी, जिला सवास्थ्य अधिकारी-१, जिला सवास्थ्य अधिकारी-२	सप्ताह में कम से कम १ बार १ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं १ उपस्वास्थ्य केन्द्र का भ्रमण अथवा २ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं १ उपस्वास्थ्य केन्द्र का भ्रमण अथवा १ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, १ उपस्वास्थ्य केन्द्र का भ्रमण, १ आउटरीच पर्यवेक्षण एवं गृह भेंट सुनिश्चित हो।
५	संभाग स्तर	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उपसंचालक, संभागीय कार्यक्रम प्रबंधक	सप्ताह में कम से कम १ बार रोटेशन के आधार पर अलग-अलग जिलों में प्रति भ्रमण २ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र -एफ.आर.यू. /१ सिविल अस्पताल अथवा प्रति भ्रमण १ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र -एफ.आर.यू. /१ सिविल अस्पताल, १ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा १ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, २ उपस्वास्थ्य केन्द्र/ आउटरीच पर्यवेक्षण एवं गृह भेंट सुनिश्चित हो।
६	राज्य स्तर	एस.पी.एम.यू. ओ.आई.सी.	माह में न्यूनतम १ बार आवंटित जिलों में प्रति भ्रमण जिला अस्पताल, १ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र -एफ.आर.यू. /१ सिविल अस्पताल, १ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, १ उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं २ ग्राम आरोग्य केन्द्र

ग्राम अरोग्य केन्द्रों द्वारा ग्राम स्तरीय प्रक्रियाओं का सुदृढ़िकरण

ग्राम अरोग्य केन्द्रों द्वारा
ग्राम स्तरीय प्रक्रियाओं का सुदृढ़िकरण

- ग्राम अरोग्य केन्द्रों में सुदृढीकरण हेतु प्रावधानुसार महिलाओं एवं बच्चों की जांच, टीकाकरण के लिए आवश्यक फर्नीचर, उपकरण एवं दवाओं की व्यवस्था। ग्राम आरोग्य केन्द्र में ग्राम स्वास्थ्य रजिस्टर का संधारण एवं आवश्यक जानकारी का दीवार पर लेखन। अनाबद्ध राशि की प्राप्ति तथा व्यय विवरण दीवार पर लेखन।
- ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों की प्रक्रिया के अनुरूप नियमित मासिक बैठकें, अनाबद्ध राशि के व्यय हेतु निर्णय तथा व्यय की गई राशि की जानकारी ग्राम सभा में देना।
- हमारा स्वास्थ्य हमारा दायित्व के अंतर्गत जिला प्रशिक्षकों एवं ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति के सदस्यों का प्रावधान अनुसार निर्धारित समय सीमा में प्रशिक्षण।
- प्रावधानुसार ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन। ग्राम स्तर पर सांस्कृतिक दल का गठन कर ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस पर कार्यक्रम। कार्यक्रम हेतु सांस्कृतिक दल को रूपये 250/– से रूपये 500/– तक ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की अनाबद्ध राशि से भुगतान किया जा सकता है।
- आशा कार्यकर्ताओं का नियमित, पूर्ण, एकल खिड़की प्रणाली से मासिक भुगतान। सेक्टर प्रभारी द्वारा पर्यवेक्षण।
- आशा डाटाबेस का www.comunityactionmp.com में संधारण तथा आशा का कार्य आधारित मूल्यांकन। यदि आशा उसके निर्धारित कार्यो में से 50 प्रतिशत से कम 3 माह तक कार्य करती है तो उसे निष्क्रिय मानकर नई आशा के चयन की कार्यवाही की जाये।
- ए.एन.एम एवं एम.पी.डब्ल्यू के कार्यो का सेक्टर प्रभारी द्वारा पर्यवेक्षण।
- सेक्टर प्रभारी के भ्रमण हेतु वाहन एवं सेक्टर के अंतर्गत ग्रामों का साप्ताहिक भ्रमण की प्रक्रिया का निर्धारण एवं ग्रामीणों को सूचना।
- सेक्टर एवं ग्राम स्तर पर किये जाने वाले कार्य –
  - ➢ प्रत्येक ग्राम की गर्भवती माताओं को सूचीबद्ध कर पर्यवेक्षण।
  - ➢ प्रत्येक ग्राम के 0 से 5 वर्ष के शिशुओं को सूचीबद्ध कर पर्यवेक्षण।
  - ➢ ग्राम स्वास्थ्य एवं टीकाकरण दिवस के दिन टीकाकरण तथा छूटे हुओं को चिन्हित कर टीकाकरण करना।
  - ➢ आई.एफ.ए. टेबलेट्स का वितरण।
  - ➢ जिंक टेबलेट्स का वितरण।
  - ➢ मौसमी बीमारियों (उल्टी, दस्त एवं बुखार) एवं मलेरिया का उपचार।
  - ➢ टी.बी., लेप्रोसी, अन्धत्व निवारण, मलेरिया, फाईलेरिया, चिकनगुनिया एवं डेंगु के रोगियों को चिन्हित कर सूचीबद्ध करना।
  - ➢ प्रेरणा अभियान के अंतर्गत महिला एवं पुरूष लक्षित हितग्राहियों का चयन कर उन्हें स्थाई एवं अस्थाई परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी देकर योजनाओं में सहभागी होने हेतु प्रेरित करना।
  - ➢ समस्त गर्भवती माताओं एवं शिशुओं को एम.सी.टी.एस. योजना में पंजीबद्ध करने की कार्यवाही।
  - ➢ उपरोक्तानुसार ग्राम स्वास्थ्य पंजी का संधारण एवं नवीनीकरण।

परिशिष्ट

शासकीय संस्थाओं में की जाने वाली पैथालॉजी जाँचों/उपकरणों /सामग्री की सूची			
क्रमांक	**दर्जा**	**जाँच**	**आवश्यक उपकरण/ सामग्री**
1	उपस्वास्थ्य केन्द्र/ ग्राम आरोग्य केन्द्र	1. हिमोग्लोबिन (कलर स्केल)	उपयोग योग्य ● रंगीन स्केल
		2. एल्बुमिन/ मधुमेह के लिए मूत्र की जाँच	● रंगील स्केल पेपर ● एल्बुमिन/ मधुमेह पट्टी
		3. गर्भावस्था के लिए मूत्र की जाँच	● गर्भावस्था जाँच के लिए पट्टी
		4. पी. वायवेक्स और पी. फेल्सिफेरम के लिए मलेरिया एंटीजेन	● पीवी और पीएफ परीक्षण के लिए पट्टी
		5. पीबीएफ और स्पटम एफबी के लिए पट्टी संग्रहण	● पट्टियाँ ● काँच के पात्र
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	उपरोक्त के अतिरिक्त 6. हिमोग्लोबिन (साहली की पद्धति)	उपकरण ● कलरीमीटर
		7. मूत्र (माइक्रोस्कोपी, एसीटोन, बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट्स)	● हेमोसाइटोमीटर ● माइक्रोस्कोप
		बायोकेमिकल जाँच 9. सीरम यूरिया 10. सीरम कोलेस्ट्रोल 11. सीरम बिलिरूबीन	● सेन्ट्रीफ्यूज मशीन ● वॉटर बाथ ● ग्लूकोमीटर उपयोग योग्य ● एसीटोन के लिए किट
		12. थायराइड कार्ड टेस्ट	● पट्टियाँ, आवरण पर्ची
		13. बीटी, सीटी	● पट्टियाँ ● मलेरिया के लिए (जेबीएस क्षेत्र)
		14. मल जाँच	● माइक्रोस्कोप
		15. ईएसआर	● न्यूबार्स चेम्बर
		16. सम्पूर्ण रक्त पिक्चर	● काँच के पात्र ● रिजेंट्स/ किट

क्रमांक	दर्जा	जाँच	आवश्यक उपकरण/ सामग्री
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	उपरोक्त के समान तथा उसके अतिरिक्त	उपकरण उपरोक्त के समान तथा उसके अतिरिक्त ● सेमी ऑटो एनालाइजर उपयोग के योग्य उपरोक्त के अतिरिक्त आवश्यकता के अनुसार किट
		17. प्लेटलेट संख्या	
		18. मलेरिया के लिए पीबीएफ	
		19. स्पटम एएफबी	
		20. एसजीओटी (1 अप्रेल के बाद से)	
		21. एसजीपीटी (1 अप्रेल के बाद से)	
		22. एल्को पीओ 4 (1 अप्रेल के बाद से)	
		23. जी 6 पीडी न्यूनता परीक्षण	
		24. सीरम क्रिएटिन / प्रोटीन	
		25. आरए फेक्टर	
		26. एचबीएसएजी	
		27. वीडीआरएल	
		28. सीरम विश्लेषण	
4	सिविल अस्पताल	उपरोक्त के अतिरिक्त 29. लिपिड प्रोफाइल 30. एचसीवी	उपकरण – पूर्वानुरूप उपयोग के योग्य उपरोक्त के समान तथा उसके अतिरिक्त
		30. एचआईवीएजी	
		32. सीआरपी	

क्रमांक	दर्जा	जाँच
5	जिला अस्पताल	उपरोक्त के समान तथा उसके अतिरिक्त
		हेमेटोलॉजी-सही मात्रा के साथ सीबीसी
		डेंगू, चिकनगुनिया (1 अप्रेल के बाद से)
		गले के बलगम का कल्चर (1 अप्रेल के बाद से)
		एएफपी के लिए स्कीन स्मीअर
		प्रोथोर्मबिन समय
		पीटीटी (1 अप्रेल के बाद से)
		सीपीके-एमबी
		सीएसफ विश्लेषण
		सीएसएफ कल्चर और संवेदना (1 अप्रेल के बाद से)
		प्लूरल / एसेटिक विश्लेषण
		सीटीलॉजी के लिए पेप स्मीअर (1 अप्रेल के बाद से)
		सीरम इलेक्ट्रोलाइट (1 अप्रेल के बाद से)
		टॉर्च टेस्ट (1 अप्रेल के बाद से)
		थायराइड प्रोफाइल (1 अप्रेल के बाद से)

विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध रहने वाली न्यूनतम आवश्यक दवाओं की सूची

क्र.	ज्यादा उपयोगी (24x7)	डीएच = जिला अस्पताल सीएच = सिविल अस्पताल सीएचसी = सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीएचसी = प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एसएचसी = उप स्वास्थ्य केन्द्र				
		डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	एसएचसी
1	आर्टेसुनेट इंजेक्शन 60 मिग्रा वायल/गोली	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
2	एसीटाझोलामाइड गोली 250 मिग्रा	डीएच	सीएच	सीएचसी		
3	इंजेक्शन एंड्रेनोक्रोम मोनोसेमीकाब्राझोन 0.75 मिग्रा/मिली	डीएच	सीएच	सीएचसी		
4	इंजेक्शन एड्रेनालाइन आईपी 1 मिग्रा/मिली	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
5	एल्बान्डेझोल सस्पेंशन 200 मिग्रा/ 5 मिली-10 मिली बोतल	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	एसएचसी
6	एल्प्राझोलम गोली 0.25 मिग्रा	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
7	इंजेक्शन एमिकेसिन 250 मिग्रा वायल	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
8	एमिनोफिलीन इंजेक्शन 25 मिग्रा / मिली वायल	डीएच	सीएच	सीएचसी		
9	एम्लोडिपाइन गोली 10 मिग्रा	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
10	एमोक्सीलीन केप्सूल 500 मिग्रा, एमोक्सीलीन सस्पेंशन (एमोक्सीलीन केप्सूल 250 मिग्रा)	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	एसएचसी
11	एमोक्सीलीन और क्लेवुनिक एसिड डिस्पर्सिबल गोली 228 मिग्रा	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
12	एम्पिसीलीन इंजेक्शन 250 मिग्रा / वायल (डीएच,सीएच,सीएचसी)	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
13	एस्प्रिन कम मात्रा में 75 मिग्रा	डीएच	सीएच	सीएचसी		
14	एटेनोलोल गोली 50 मिग्रा	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
15	एट्रोपाइन आई ड्राप 1 % (डीएच, सीएच)/ एट्रोपाइन सल्फेट इंजेक्शन 0.6 मिग्रा/मिली एससी/आईएम /आईवी (डीएच,सीएच, सीएचसी)	डीएच	सीएच			
16	एसीक्लोवीर इंजेक्शन 250 मिग्रा, 500 मिग्रा वायल, 200,400, 800 मिग्रा गोली 10 ७ 10 मल्हम 3% 5 ग्राम सस्पेंशन 400 मिग्रा/ प्रति 5 मिली	डीएच	सीएच			
17	एडेनोसिन इंजेक्शन 3 मिग्रा/1 मिली (2 मिली एम्पुल)6 मिग्रा/ प्रति 2 मिली एंटीअर्थीमिक्स	डीएच				

क्र.	ज्यादा उपयोगी (24x7)	डीएच = जिला अस्पताल सीएच = सिविल अस्पताल सीएचसी = सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीएचसी = प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एसएचसी = उप स्वास्थ्य केन्द्र				
		डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	एसएचसी
18	एमियोडेरोन गोली 100,200 मिग्रा 10 X 10 इंजेक्शन 50 मिग्रा/1 मिली (3 मिली वायल) एंटीअर्थिमिक्स	डीएच				
19	एट्राक्यूरिअम बेसिलेट यूएसपी 45 मिग्रा /2.5 मिली	डीएच				
20	बेंझाइल बेंझोएट एमल्सन	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
21	केल्शियम कार्बोनेट 500 मिग्रा गोली	डीएच	सीएच	सीएचसी		
22	विटामिन डी के साथ केल्शियम	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	एसएचसी
23	केल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन 10 %	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
24	कार्बोपोस्ट इंजेक्शन 250 मिग्रा पीजीएफ 2	डीएच	सीएच	सीएचसी		
25	कोफोटेक्सिम सोडियम इंजेक्शन 1 ग्राम	डीएच	सीएच	सीएचसी		
26	सेफ्ट्रीएक्सोन सोडियम इंजेक्शन 250, 500, 1 ग्राम वायल	डीएच	सीएच	सीएचसी		
27	सेट्रीमाइड +क्लोरेहेक्साडाइन कोंक (15%+7.5%)	डीएच	सीएच			
28	सेट्रीझाइन गोली 10 मिग्रा	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
29	क्लोर्फेनिरेमाइन मेलिएट गोली 4 मिग्रा इंजेक्शन क्लोर्फेनिरेमाइन	डीएच	सीएच	सीएचसी		
30	क्लोरोक्वीन फास्फेट इंजेक्शन 64.5 मिग्रा/मिली और क्लोरोक्वीन फास्फेट सीरप	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
31	क्लोरोफेनेरामाइन मेलिएट गोली 4 मिग्रा इंजेक्शन क्लोरोफेनेरामाइन	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
32	सिप्रोफ्लोएक्सेसिन आई ड्राप 0.3%(डीएच, सीएच, सीएचसी, पीएचसी) इंजेक्शन 100 मिग्रा/50 मिली(डीएच,सीएच,सीएचसी)	डीएच	सीएच		पीएचसी	
33	क्लोपिडोग्रेल 75 मिग्रा गोली	डीएच	सीएच			
34	सेफ्ट्रीएक्सोन+टेझोबेक्टीन इंजेक्शन 1 ग्राम+125 मिग्रा	डीएच				

क्र.	ज्यादा उपयोगी (24x7)	डीएच = जिला अस्पताल सीएच = सिविल अस्पताल सीएचसी = सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीएचसी = प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एसएचसी = उप स्वास्थ्य केन्द्र				
		डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	एसएचसी
35	केल्शियम क्लोराइड इंजेक्शन 10%/10 मिली एएमपी स्ट्रेंथ केल्शियम क्लोराइड डिहाइट्रेड 1.4 प्रति मिली 10 मिली के वॉटर के वायल के साथ कैल्शियम और क्लोराइड घोल इलेक्ट्रोलाइट वॉटर और पोषण के सुधार के लिए	डीएच				
36	गोली क्लोनीडाइन 100 एमसीजी 10 x 10 इंजेक्शन 150 एमसीजी प्रति मिली एएमएल एम्पुल प्रति वायल (जीवन रक्षक) एंटीहाइपरटेंसीव	डीएच				
37	डेक्सामेथासन सोडियम फास्फेट इंजेक्शन 4 मिग्रा/मिली, 2 मिली एम्पुल	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
38	डेक्सट्रोमेथोर्फेन सीरप 30 मिग्रा/5 मिली	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
39	डेक्स्ट्रोज इंजेक्शन 5 %	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
40	डायझेपाम इंजेक्शन 5 मिग्रा /मिली वायल	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
41	डायक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन 25 मिग्रा/मिली एम्पुल डायक्लोफेनेक जेल	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
42	इंजेक्शन डायक्लोमाइन 10 मिग्रा/मिली, ड्राप	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
43	डायजोक्सीन इंजेक्शन 250 एमसीजी/मिली 2 मिली/ एम्पुल/ डायजोक्सीन गोली	डीएच	सीएच	सीएचसी		
44	इंजेक्शन डोबूटेमाइन 50 मिग्रा/ मिली (5 मिली एएमपी)	डीएच	सीएच	सीएचसी		
45	इंजेक्शन डोपामाइन 40 मिग्रा/मिली	डीएच	सीएच	सीएचसी		
46	डोक्सीसाइक्लीन गोली 100 मिग्रा	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
47	डोम्पेरिडोम गोलियाँ10 मिग्रा गोली	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
48	डोम्पेरिडोम सस्पेंशन 1 मिग्रा डोम्पेरिडोम प्रति 1मिली़ 30 मिली बोतल	डीएच	सीएच	सीएचसी		
49	सलाइन के साथ इंजेक्शन डेक्स्ट्रोस 5%+0.9%	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
50	डेस्फेरिओक्सामाइन इंजेक्शन 500 मिग्रा वायल जहर और दवा निर्भरता	डीएच				
51	डेक्स्ट्रान 70 इंजेक्शन 500 मिली (घोल) रक्त उत्पाद और विकल्प (प्लाज्मा विस्तारक)	डीएच				

क्र.	ज्यादा उपयोगी (24x7)	डीएच = जिला अस्पताल सीएच = सिविल अस्पताल सीएचसी = सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीएचसी = प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एसएचसी = उप स्वास्थ्य केन्द्र				
		डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	एसएचसी
52	डिल्टिझेम इंजे. 5 मिग्रा/ 1 मिली एम्पुल , गोली 30, 60 मिग्रा $^{10 \times 10}$ एंटीहाइपरटेंसीव एंटीएंगीनल्स और कोरोनरी वास्कोडिलेटर्स एंटीअर्थीमिक्स	डीएच				
53	डायफेनिहाइड्रेमाइन इंजेक्शन एसजी केप्सूल 25 मिग्रा $^{10 \times 10}$, सीरप 12.5 मिग्रा/मिली 100 मिली बोतल एंटीएलर्जिक दवाएँ	डीएच	सीएच			
54	डिप्थेरिया एंटीटॉक्सीन इंजेक्शन 10000 आईयू, (10 मिली एएमपी जीवन रक्षक) 20000 आईयू वायल	डीएच	सीएच			
55	डी-50 %(इंजेक्शन) पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स और पोषण सुधारने वाला घोल	डीएच	सीएच	सीएचसी		
56	इटोफिलाइन और थियोफिलाइन बाल सीरप, एसआर गोली 300 मिग्राा, इटोफिलाइन और थियोफिलाइन इंजेक्शन 220 मिग्रा / 2 मिली (169.4+50.6 मिग्रा) वायल	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
57	इंजेक्शन इलेक्टोलाइट एम 500 मिली एफएफएस/बीएफएस बोतल इंजेक्शन इलेक्टोलाइट पी 500 मिली एफएफएस/बीएफएस बोतल	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
58	एनालेप्रिल मेलिएट गोली 2.5, 5 मिग्रा$^{10 \times 10}$ इंजेक्शन 1.25 मिग्रा प्रति मिली वायल जीवन रक्षक है। एंटीहाइपरटेंसीव आईनोट्रोपिक एजेंट्स, सीएचएफ में दवा का उपयोग	डीएच	सीएच	सीएचसी		
59	इलेक्ट्रोलाइट ई आईवी 500 मिली एफएफएस/बीएफएस बोतल, इंजेक्शन डेक्स्ट्रोज 5 मिग्रा, सोडियम एसिटेट, सोडियम क्लोराइड 5 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 74 मिग्रा, सोडियम सिट्रेट 75 मिग्रा, केल्शियम क्लोराइड 52 मिग्रा, मैग्निशियम क्लोराइड 31 मिग्रा, सोडियम मेटा बाईसल्फेट 20 मिग्रा वॉटर इलेक्ट्रोलाइट और पोषण को सुधारने वाला घोल	डीएच	सीएच			
60	फ्लूकोनेझलो गोली 150 मिग्रा	डीएच	सीएच	सीएचसी		
61	फोलिक एसिड गोली आईपी 5 मिग्रा	डीएच	सीएच	सीएचसी		एसएचसी
62	फ्रूसेमाइड इंजेक्शन 10 मिग्रा/मिली (डीएच, सीएच, सीएचसी, पीएचसी) गोली 40 मिग्रा (डीएच, सीएच,सीएचसी)	डीएच	सीएच	सीएचसी		
63	फ्लूमाझेनिल इंजेक्शन 500 मिग्रा प्रति 8 मिली वायल बेंझाडियाझेपाइन एंटागोनिस्ट	डीएच				
64	ताजा संग्रहित प्लाज्मा इंजेक्शन रक्त उत्पाद और विकल्प	डीएच				
65	जेंटामाइसीन इंजेक्शन 40मिली /मिली	डीएच	सीएच	सीएचसी		एसएचसी

विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध रहने वाली न्यूनतम आवश्यक दवाओं की सूची

क्र.	ज्यादा उपयोगी **(24x7)**	डीएच = जिला अस्पताल सीएच = सिविल अस्पताल सीएचसी = सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीएचसी = प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एसएचसी = उप स्वास्थ्य केन्द्र				
		डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	एसएचसी
66	हालोथेन बीपी 250 मिली	डीएच	सीएच			
67	इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसन सोडियम सक्सीनेट 100,200,400 मिग्रा/मिली वायल	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
68	एलएमएचडब्ल्यू. लो मोलीक्यूलर वेट हेपारिन इंजेक्शन 4000 आईयू/मिली	डीएच	सीएच			
69	हालोपेरिडोल गोली 1.5 मिग्रा, 5 मिग्रा 10 x 10, इंजेक्शन 5 मिग्रा/मिली वायल एंटीकोएग्यूलेंटस	डीएच	सीएच	सीएचसी		
70	हेपारिन इंजेक्शन 1000 आईयू 5000 आइयू / मिली 5 मिली वायल	डीएच				
71	इंसुलीन ह्यूमन मिक्सटार्ड इंजेक्शन 30:70	डीएच	सीएच			
72	इंजेक्शन इंसुलीन सोल्यूबल 40 आईयू/ मिली	डीएच	सीएच			
73	एंट्रीक कोटेड आयरन और फोलिक एसिड गोलियाँ एलिमेंटल आयरन (वयस्क)100 मिग्रा +एफए 0.5 मिग्रा	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	एसएचसी
74	एंट्रीक कोटेड आयरन और फोलिक एसिड गोलियाँ डेसीकाटेड आईपी 67 मिग्रा गोली 20 मिग्रा एलिमेंटल आयरन के समान है	डीएच	सीएच	सीएचसी		एसएचसी
75	आयरन और फोलिक एसिड सीरप फेरिअस आयरन (फेरिअस सल्फेट से लिया गया) 100 मिग्रा और फोलिक एसिड आईपी 0.5 मिग्रा प्रति 5 मिली, 100 मिली प्रत्येक बोतल में जिसके साथ 1 मिली दवा लेने के लिए पाइप वाला ड्रापर हो। पाइप वाली बोतल पोलीप्रोपेलेन से तथा पम्प वाला हिस्सा पीवीसी से बना हो।	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	एसएचसी
76	आइसोसोर्बिड डिनिट्रेट 5 मिग्रा गोली आईपी	डीएच	सीएच	सीएचसी		
77	आइसोसोर्बिड मोनोनाइट्रेट गोली 20 मिग्रा	डीएच	सीएच	सीएचसी		
78	आयरन सुक्रोज इंजेक्शन 50 मिग्रा प्रति मिली 1.5 मिली/एएमपी हेमओपोएटिक दवाइयाँ	डीएच	सीएच	सीएचसी		
79	केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन 10 मिग्रा/ मिली प्रत्येक वायल में 10 मिली	डीएच	सीएच	सीएचसी		
80	लिग्नोकेन इंजेक्शन 2% (21.3 मिग्रा/मिली)	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
81	लिवोनोर्ग्रेस्ट्रोअल आपातकाल गर्भनिरोधक गोलियां 0.75 मिग्रा	डीएच		सीएचसी	पीएचसी	
82	इंजेक्शन मेनिटोल 10 % 20 %	डीएच				

विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध रहने वाली न्यूनतम आवश्यक दवाओं की सूची

क्र.	ज्यादा उपयोगी (24x7)	डीएच = जिला अस्पताल सीएच = सिविल अस्पताल सीएचसी = सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीएचसी = प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एसएचसी = उप स्वास्थ्य केन्द्र				
		डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	एसएचसी
83	मैग्निशियम हाइड्रोक्साइड+एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड गोलियाँ	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	एसएचसी
84	इंजेक्शन मैग्निशियम सल्फेट बीपी 50% डब्ल्यू /वी	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	एसएचसी
85	मिसोप्रोस्टोल गोली 200 एमसीजी गोली के 4 पैकेट	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	एसएचसी
86	मेटफोर्मिन गोली 500 मिग्रा	डीएच	सीएच	सीएचसी		
87	मिथाइलडोपा गोली 250 मिग्रा	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
88	मिथाइल एर्गुमेंटाइन मिलिएट गोली 0.125 मिग्रा मिथाइल एर्गुमेंटाइन मिलिएट इंजेक्शन 0.2 मिग्रा/ 1 मिली	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
89	इंजेक्शन मेटोक्लोप्रेमाइड 5 मिग्रा/मिली, गोली 10 मिग्रा	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
90	इंजेक्शन मेट्रोनिडेझोल 500 मिग्रा/100 मिली, गोली	डीएच	सीएच		पीएचसी	एसएचसी
91	मेंडाझोलेन इंजेक्शन 1 मिग्रा/मिली	डीएच	सीएच	सीएचसी		
92	गोली लेबेटालोल	डीएच	सीएच	सीएचसी		
93	मीठी परत वाली मल्टी विटामिन गोलियाँ, एनएफआई फार्मूला	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	एसएचसी
94	मल्टीविटामिन ड्राप (लगभग 22 ड्राप)	डीएच	सीएच	सीएचसी		
95	नेफेडिपाइन गोली, 10 मिग्रा	डीएच	सीएच	सीएचसी		
96	नाफ्लोएक्सेसीन गोली आईपी 400 मिग्रा	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
97	इंजेक्शन नोराड्रेलाइन बिटार्टरेट 2 मिग्रा आधार/ 2 मिली एम्पुल	डीएच	सीएच	सीएचसी		
98	नाइट्रोग्लिसरिन 25 मिग्रा/5 मिली	डीएच	सीएच			
99	नेलोक्झोन इंजेक्शन 0.1, 0.4 मिग्रा/ मिली 1 मिली (एएमपी) जहरीला दवा निर्भरता	डीएच				

विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध रहने वाली न्यूनतम आवश्यक दवाओं की सूची

क्र.	ज्यादा उपयोगी (24x7)	डीएच = जिला अस्पताल सीएच = सिविल अस्पताल सीएचसी = सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीएचसी = प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एसएचसी = उप स्वास्थ्य केन्द्र				
		डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	एसएचसी
100	सामान्य सलाइन इंजेक्शन 0.9% आइसोटॉनिक (एनए+154 एम एमओएल/एल सीएल+154 एम एमओएल/एल) पानी, इलेक्ट्रोलाइट और पोषण को सुधारने वाला घोल	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
101	नियोस्टीग्माइन इंजेक्शन 0.5, 2.5 मिग्रा/ 5 मिली 1 मिली एएमपी (नियोस्टीग्माइन इंजेक्शन- नियोस्टीग्माइन मिथाइलसल्फेट 0.5 मिग्रा / मिली; 01मिली प्रत्येक में)	डीएच	सीएच	सीएचसी		
102	ऑफ्लोक्जेसीन गोली 200 मिग्रा	डीएच	सीएच	सीएचसी		
103	ओम्प्रेझोल केप्सूल 20 मिग्रा	डीएच	सीएच			
104	ओन्डानेस्टेरॉन इंजेक्शन 2 मिग्रा/मिली वायल	डीएच	सीएच			
105	छोटा ओस्मालेटरी ओआरएस पैकेट। विश्व स्वास्थ्य संगठन का फार्मूला सोडियम क्लोराइड 2.5 मिग्रा, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 मिग्री, सोडियम साइट्रेट 2.09 ग्राम, डेक्स्ट्रोज 13.6 मिग्रा 20.5 ग्राम	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	एसएचसी
106	ऑक्सीटोसीन इंजेक्शन 5 आईयू/मिली	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	एसएचसी
107	ऑक्सीजन उपकरण (ऑक्सीजन आईपी- स्टील या एल्यूमिनियम के सिलेण्डर में चिकित्सकीय ऑक्सीजन(10 लीटर पानी क्षमता) विशिष्ट गैस पीआईएन तंत्र के साथ (2 सिलेण्डर)राज्य द्वारा निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए(किट के एक भाग के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी))	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
108	पेरासीटामॉल गोली 500 मिग्रा, इंजेक्शन, सीरप	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	एसएचसी
109	पेंटाझोसिन लेक्टेट इंजेक्शन 30 मिग्रा/मिली	डीएच	सीएच	सीएचसी		
110	फेनिरेमाइन मेलियट इंजेक्शन 22.75 मिग्रा/मिली	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	एसएचसी
111	फेनिटोइन सोडियम गोली 100 मिग्रा (डीएच, सीएच,सीएचसी) इंजेक्शन 50 मिग्रा/ मिली (डीएच, सीएच)	डीएच	सीएच	सीएचसी		
112	पोवीडोन आयोडीन घोल 5 % (डीएच, सीएच,सीएचसी,पीएचसी) वेगीनल प्रेसरी 200 मिग्रा (डीएच,सीएच) सर्जीकल स्क्रब घोल 7.5 % (डीएच, सीएच,सीएचसी)	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	एसएचसी
113	पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन 150 मिग्रा/ 10 मिली	डीएच	सीएच			
114	प्राइमाक्वीन गोली 15 मिग्रा	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	

विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध रहने वाली न्यूनतम आवश्यक दवाओं की सूची

क्र.	ज्यादा उपयोगी (24x7)	डीएच = जिला अस्पताल सीएच = सिविल अस्पताल सीएचसी = सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीएचसी = प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एसएचसी = उप स्वास्थ्य केन्द्र				
		डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	एसएचसी
115	पेन्टोप्रेझोल गोली 40 मिग्रा गोली 10 x 10 इंजेक्शन 40 मिग्रा वायल हाइपर एसीडीटी रिफलक्स अल्सर	डीएच				
116	प्रोस्टाग्लेंडिन ई 2 जेल 0.5 मिग्रा अल्सर पर कार्य करने वाली दवा	डीएच				
117	फेनोबार्बिटोन सीरप 200 मिग्रा/ 5 मिली गोली 30, 60 मिग्रा 10 x 10, इंजेक्शन 200 मिग्रा/मिली 1मिली/एम्पुल (*इंजेक्शन फेनोबार्बिटोन सोडियम 100 मिग्रा/मिली; प्रत्येक एम्पुल में 02 मिली)	डीएच	सीएच	सीएचसी		
118	पेपरासीलीन 4 मिग्रा +टेझोबेक्टेम 0.5 मिग्रा इंजेक्शन 4.5 ग्राम 49+500 मिग्रा वायल एंटीबैक्टीरियल	डीएच	सीएच			
119	प्रेलीडोक्सीमाइन (पीएएम) इंजेक्शन 25 मिग्रा / मिली 20 मिली एम्पुल जहर में प्रयुक्त होने वाला एंटीडॉट्स तत्व	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
120	प्रोटेमाइन सल्फेट इंजेक्शन 10 मिग्रा / मिली 5 मिली एम्पुल हेमोस्टेटिक्स/ एंटीहेमोरोहाइस	डीएच				
121	क्यूनेन सल्फेट गोली 300 मिग्रा, इंजेक्शन 300 मिग्रा / मिली वायल	डीएच	सीएच	सीएचसी		
122	इंजेक्शन रिंगर लेक्टेट 500 मिली एफएफएस/बीएफएस बोतल	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
123	इंजेक्शन रेंटीडाइन 50 मिग्रा/ 2 मिली	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
124	रेबीज टीका इंजेक्शन आईपी ह्यूमन (चिक एम्ब्रयो/वर्वो सेल कल्चर)	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
125	रेबीज इम्युनोग्लोबाइन्स 150 और 300 आईयू/2मिली (वायल)	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
126	श्वास के लिए साल्बुटेमोल रेस्पुल इंहेलर	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
127	सोडियम क्लोराइड 1/2 सामान्य, हाइपर टॉनिक और डेक्स्ट्रोस 5 % इंजेक्शन	डीएच	सीएच	सीएचसी		
128	इंजेक्शन सोडियम बायकारोनेट 7.55 % डब्ल्यू/वी	डीएच	सीएच			
129	सर्जिकल स्प्रीट 500 मिली बीपी	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	एसएचसी
130	इंजेक्शन स्नैक वेनोम एंटी सीरम आईपी लिक्विड फार्म				पीएचसी	
131	इंजेक्शन स्ट्रेप्टोकीनेस					
132	सल्फामेथोक्साझोल 800 मिग्रा + ट्रायमेथेप्रिम गोली 160 मिग्रा, सस्पेंशन				पीएचसी	एसएचसी

विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध रहने वाली न्यूनतम आवश्यक दवाओं की सूची

क्र.	ज्यादा उपयोगी (24x7)	डीएच = जिला अस्पताल सीएच = सिविल अस्पताल सीएचसी = सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीएचसी = प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एसएचसी = उप स्वास्थ्य केन्द्र				
		डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	एसएचसी
133	सर्फेक्टेंट बोवाइन (इंट्राट्रेकीअल) नेच्युरा इंजेक्शन 4 मिली एम्पुल इंट्राट्रेकीअल इंस्टीलेशन के सस्पेंशन के लिए	डीएच	सीएच			
134	सुसीनाइल कोलाइन इंजेक्शन 50 मिग्रा/मिली 10 मिली एम्पुल (सुसीनाइल कोलाइन इंजेक्शन- सुसीनाइल कोलाइन क्लोराइड 50 मिग्रा/ मिली; प्रत्येक वायल में 10 मिली) न्यूरमस्क्यूलर ब्लॉकर (पूर्व चिकित्सा दवा)	डीएच	सीएच	सीएचसी		
135	टिंचर बेंझोइन कंपाउंड आईपी 500 मिली बोतल	डीएच	सीएच			
136	थॉयरोक्सीन सोडियम गोली 50 एमसीजी 100 एमसीजी	डीएच	सीएच			
137	टिनीडेझोल गोली	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
138	ट्रेमेडोल इंजेक्शन 100 मिग्रा, (डीएच,सीएच,सीएचसी,पीएचसी) गोली 50 मिग्रा (डीएच,सीएच,सीएचसी)	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
139	ट्राइमेथोप्राइम और सल्फा मेथोक्साझोल (बच्चों की गोली)	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	एसएचसी
140	इंजेक्शन ट्रानेक्जेमिक एसिड 125 मिग्रा/मिली	डीएच	सीएच			
141	ट्रोपिकेमाइड आई ड्रॉप 1% 5 मिग्रा/मिली	डीएच	सीएच			
142	टिटनस टॉक्साइड इंजेक्शन	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	एसएचसी
143	एंटी टिटनस इम्युनोग्लोबुलीन इंजेक्शन 250 आईयू/वायल	डीएच	सीएच	सीएचसी		
144	टोरासेमाइड गोली 10 मिग्रा, 20 मिग्रा 10 x 10 इंजेक्शन 100 मिग्रा/2 मिली वायल एंटीहाइपरटेंसीव डायरेक्टिक	डीएच				
145	विटामिन के इंजेक्शन (फिटोमेनाडियोन इंजेक्शन)1 मिग्रा/0.5 मिली, विटामिन के 3 इंजेक्शन मेनाडिओन (जीवन रक्षक)	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	
146	विटामिन के सीरप 100000 आईयू/मिली 1,2 चम्मच आइल बेस के साथ	डीएच	सीएच			एसएचसी
147	जिंक सल्फेट सीरप 20मिग्रा/5 मिली (नॉन बिट्रे)/ घुलने वाली गोली	डीएच	सीएच	सीएचसी	पीएचसी	एसएचसी
	कुल	147	131	107	71	24

जिम्मेदार माता–पिता का फर्ज़ निभायें,
सही समय पर शिशु का पूरा टीकाकरण करवायें।
शिशु को सात जानलेवा रोगों से बचायें।

राष्ट्रीय टीकाकरण तालिका

शिशुओं के लिये

क्र.	उम्र	टीके का नाम	बीमारियों से बचाव
1.	जन्म से 24 घंटे के भीतर (अस्पताल में)	बी.सी.जी., ओपीव्ही एवं हेपेटाइटिस-बी	टी.बी. या तपेदिक, पोलियो एवं पीलिया (हेपेटाइटिस-बी)
2.	डेढ़ माह पर	डी.पी.टी.-1, हेपेटाइटिस-बी 1 तथा ओपीव्ही-1	डिप्थीरिया, काली खाँसी, टिटेनस, पीलिया तथा पोलियो
3.	ढाई माह पर	डी.पी.टी.-2, हेपेटाइटिस-बी 2 तथा ओपीव्ही-2	डिप्थीरिया, काली खाँसी, टिटेनस, पीलिया तथा पोलियो
4.	साढ़े तीन माह	डी.पी.टी.-3, हेपेटाइटिस-बी 3 तथा ओपीव्ही-3	डिप्थीरिया, काली खाँसी, टिटेनस, पीलिया तथा पोलियो
5.	9 माह से 12 माह तक	खसरे का टीका प्रथम विटामिन-ए की प्रथम खुराक	खसरा, रतौंधी
6.	16-24 माह पर	डी.पी.टी. प्रथम बूस्टर तथा पोलियो बूस्टर	डिप्थीरिया, काली खाँसी, टिटेनस तथा पोलियो
7.	16-24 माह पर	खसरे की द्वितीय खुराक	खसरा
8.	16 माह से 5 वर्ष तक	विटामिन-ए की दूसरी से नौवीं खुराक, छः माह के अंतराल पर	रतौंधी
9.	5 वर्ष	डी.पी.टी. द्वितीय बूस्टर	डिप्थीरिया, काली खाँसी, टिटेनस

सम्पूर्ण स्वास्थ्य सबके लिये अभियान

अधिक जानकारी के लिये स्वास्थ्य कार्यकर्ता/आशा से संपर्क करें।

सभी सरकारी अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों में टीकाकरण की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है।

म.प्र. माध्यम/2012

राज्य स्वास्थ्य सूचना शिक्षा संचार ब्यूरो, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश